खण्ड-258, अंक-5
शुक्रवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1887
(6 अगस्त, 1965 ई0)

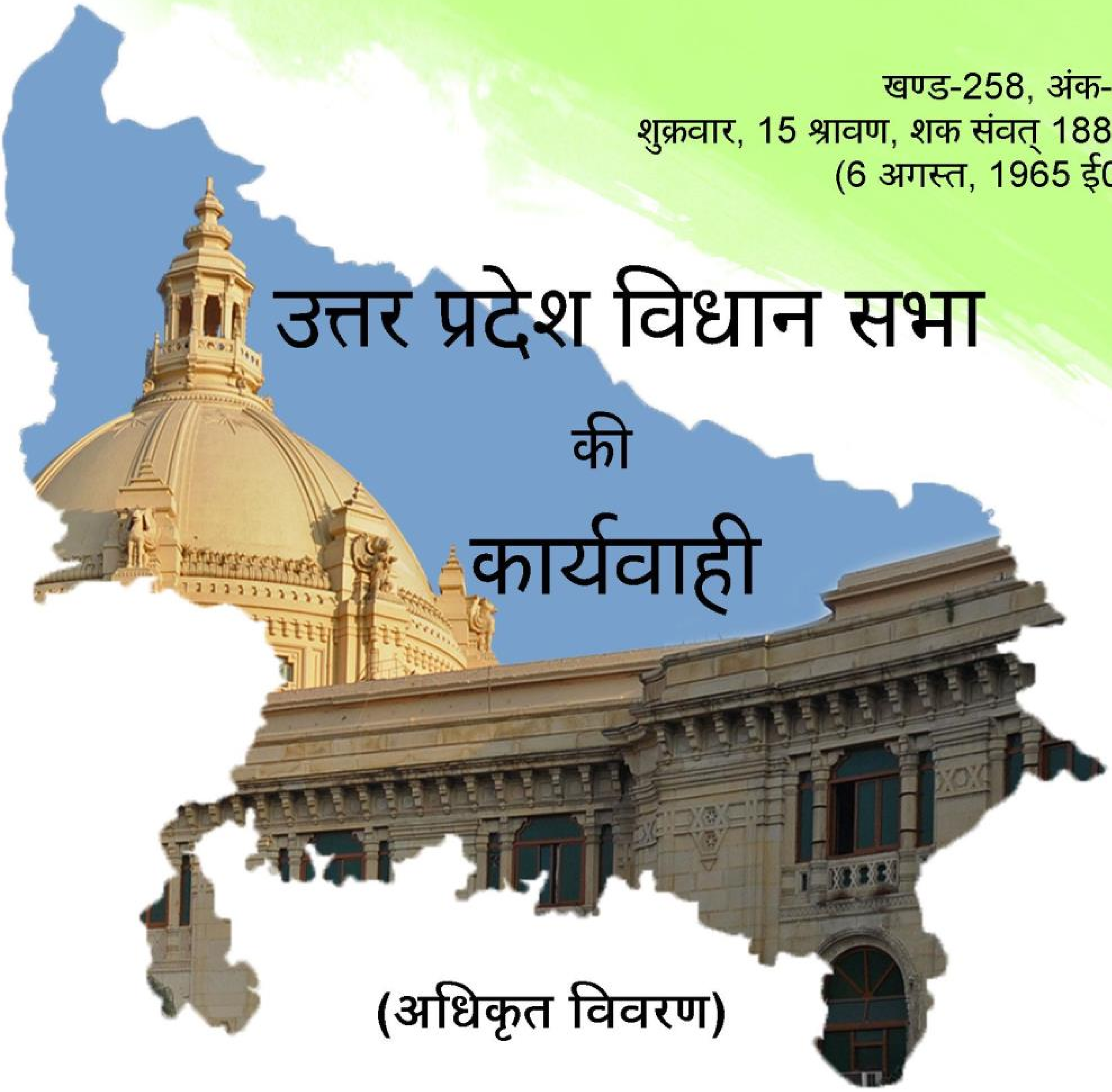

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उलफतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिलराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, जायसवाल, श्री
मेडीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राज नारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामप्रकाश कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमुझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावतीराठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवजनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पान्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदखां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एटवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेम राज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार ६ अगस्त, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शिक्षकों के वेतन में एडहाक वृद्धि

**१---श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न स्तरों के शिक्षकों तथा शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि की जो घोषणा जुलाई, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसकी पूरी रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२५ पर)

**२---श्री बसन्तसिंह तथा श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार इस वेतन वृद्धि को १ अप्रैल, १९६५ से लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी नहीं।

श्री बसन्तसिंह---

अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तथा डिग्री कालेजों के शिक्षकों की यह मांग थी कि राजकीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित जो वेतन-क्रम उससे उनके वेतन-क्रमों की डिस्पैरिटी दूर की जाय। इस वृद्धि के बाद भी मैं समझता हूं कि वह डिस्पैरिटी उतनी ही रह जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को वह मानते हैं या नहीं और यदि मानते हैं तो उस डिस्पैरिटी को दूर न करने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जो प्रदेश की आर्थिक दशा में संभव हो सका है उतनी सुविधा शिक्षकों को दी गई है और माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि जो सुविधा इस वित्तीय वर्ष में दी गई है उसके अनुसार लगभग १० करोड़ रुपये अधिक उन्हीं शिक्षकों को जो आजकल काम कर रहे हैं देना पड़ेगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो वृद्धि की गई है वह मूल वेतन में वृद्धि की गई है या भत्ते में वृद्धि की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह विशेष रुप से उनको सुविधा देने के लिये और उनकी जो प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं उनमें बढ़ोत्तरी करने के लिये दी गई है।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि यह वृद्धि जो है वह उनके बेसिक पे में की गई है या भत्ते में की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह ऐडहाक वृद्धि है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह देखते हुए कि ऐडहाक वृद्धि से उनको पेंशन इत्यादि में या दूसरे प्रकार के एलाउंसेज में जैसे उनका फन्ड वगैरह कटता है, उसमें उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो क्या सरकार इस वृद्धि को उनके मूल वेतन में मिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस विशेष रूप से दी गई वृद्धि को किस तरीके से रखा जाय इस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेश के और विभागों में वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और वेतन वृद्धि या बढ़ोत्तरी और विभागों में अप्रैल से ही प्रारम्भ होती है तो इन शिक्षकों के वेतन-वृद्धि की घोषणा अगस्त से क्यों की गई, इसका कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन वृद्धि सिवाय डिग्री कालेजों के जहां कि उनके वेतन क्रम थे उनमें तो वृद्धि की गई है, और उनको सहायता की गई है लेकिन और शेष में तो विशेष रूप से बढ़ोत्तरी किया है और वह भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और अपने धन की उपलब्धि को देखते हुए यह किया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपने वृद्धि की है उसमें केन्द्रीय सरकार से आपको कितनी सहायता मिली है और कितनी आप प्रदेशीय सरकार से दे रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी तक केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि करते समय वर्तमान मंहगाई का सूचकांक जो ५२५ के आसपास है उसको ध्यान में मंत्री जी ने रखा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मंहगाई को तो ध्यान में रखा ही था।

श्री उग्रसेन—

उसे छोड़कर जो दूसरे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि थी उसे उन्होंने क्यों नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझा हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए किया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

विश्वविद्यालयों में ३ ग्रेड बनाकर तीसरे के लिये जो ग्रेड रखा है उससे ऐसा लगता है कि योग्य व्यक्ति वहां के लिये आकर्षित नहीं होंगे, तो क्या इसे तोड़कर केवल पहला और दूसरा ही ग्रेड करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन क्रम केन्द्रीय विश्वविद्यालय आयोग की नीति के अनुसार रखे गये हैं। मैंने सुना है कि वह पुनः इस पर बिचार कर रहे हैं। जब उनकी कोई संस्तुति आयेगी तब देखा जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जो वेतन वृद्धि हुई है उससे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक अधिक लाभान्वित हुए हैं ? यदि हां, तो १० करोड़ में से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर कितना खर्च होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

निश्चित आंकड़े देना तो संभव नहीं होगा लेकिन मोटे तौर से अगर ५ रुपये का हिसाब लगाया जाय तो १ करोड़ रुपया होता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जो वेतन बृद्धि हुई है यह यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिये है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तनख्वाह बढ़ाते समय सरकार ने डिस्पैरिटी को सामने रखा या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षकों से सहानुभूति तो इधरवालों को बहुत है लेकिन साधनों को बिचार में रखते हुए जो सुविधा दी जा सकती थी वह दी गई।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इस बजट में करीब १५ करोड़ का घाटा है, जो १० करोड़ का इजाफा होकर २५ करोड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काश्तकार की गर्दन पर वह पैसा वसूल करने की सोच रहे हों क्योंकि आप वित्त मंत्री भी हैं ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछले मासों में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला के बयानों की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश शिक्षकों की सहायता करने के लिये तैयार है तो जितना वह करेगा उसका आधा केन्द्र से मिल जायगा ? यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने छागला जी से बात की ? यदि की, तो उसका निचोड़ क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हम शासन की दृष्टि से अखबारों की बहुत सी बातों को आधार मानकर काम नहीं कर सकते। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई लेकिन नतीजा यह है कि कोई सहायता की पुष्टि केन्द्र की ओर से हमको नहीं हो सकी है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

इस रिपोर्ट की घोषणा करने के पूर्व क्या सरकार के पास नगरमहापालिकाओं के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के निरीक्षक का वेतन वृद्धि के लिये कोई आवेदन-पत्र आया था ? यदि हां, तो उनकी वेतन वृद्धि क्यों नहीं की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं वैसे तो प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। लेकिन ये आदेश सभी रिकगनाइज्ड स्कूलों को लागू होता है चाहे वे नगरमहापालिका में हों या जिला परिषद् में हों। सरकारी कर्मचारियों पर दूसरे आदेश लागू होते हैं। स्थानीय निकायों के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

छागला साहब ने स्पष्ट रुप से घोषणा की थी कि अगर स्टेट की सरकार २५ रुपये दे तो इतना ही केन्द्रीय सरकार भी दे सकती है। इस बात की चर्चा यहां भी की गई सरकार की तरफ से कि उनका ऐसा कहना है लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार २५ रुपये मुहइया करने में असमर्थ है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था। तो अगर आप ५ रुपये और बढ़ाकर २५ रुपये करदें, तब २५ रुपये और आपको केन्द्र से मिल जावेंगे, जिससे अध्यापकों को ५० रुपये का लाभ हो जायगा। ऐसा करने को यह सरकार तैयार है?

श्री कैलाशप्रकाश—

मांग तो हम बहुत दिनों से करते आये हैं केन्द्र के वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों से मैंने बात की लेकिन मिला कुछ नहीं है।

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट

**३—श्री बेदराम (जिला एटा), श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री विजयसिंह, (जिला जालौन), श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उसकी सिफारिशें कब से लागू की जावेंगीं ? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

वेतन अभिनवीकरण समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न पत्र में दिया हुआ है। सरकार ने समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है। नये वेतन मान तथा महंगाई भत्ता संबंधी आदेश १ अप्रैल, १९६५ से, नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भत्ता संबंधी आदेश १ अगस्त, १९६५ से और सेवा निवृत्ति लाभ संबंधी आदेश १ अप्रैल, १९६५ से या इसके बाद से लागू होंगे। समिति की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है और जैसे ही हिन्दी की रिपोर्ट छपकर तैयार होगी उसे सदन की मेज पर रखा जायगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२६–५३४ पर)

श्री बेदराम—

क्या सरकार इस बात का स्पष्ट आश्वासन देगी कि वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिश लागू करने के बाद एक भी व्यक्ति को नौकरी से अलग नहीं किया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—

जो रिपोर्ट है सरकार उसके अनुसार ही करेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या इस सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की सिफारिश नम्बर ४ की ओर गया है कि आधारभूत मजदूरी निर्धारित करने म ढाई यूनिट के एक परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं का विचार किया गया है, तो क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है कि उत्तर प्रदेश में औसतन ढाई यूनिट का परिवार होता है और जैसा कि सब जगह माना जाता है ढाई यूनिट के परिवार को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो समिति की सिफारिश है, उन्होंने एक कर्मचारी और एक उसकी स्त्री और एक बच्चे को माना है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जैसा कि कहा गया है कि सरकार ने समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ माना है तो सरकार ने वह क्या संशोधन किये हैं उन को मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

समिति ने सिफारिश की थी कि नगर प्रतिकर भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाय जो २९९ रुपया तक मासिक वेतन पाते हैं लेकिन सरकार ने स्वीकार किया है कि यह भत्ता ५०० रुपया तक वेतन पाने वालों तक को मिले। एक तो यह सुविधा बढ़ाई है। दूसरे यह कि शिक्षा संबंधी कुछ सुविधायें ऐसे कर्मचारियों को देने के लिये समिति ने सिफारिश की थी जिनका वेतन २०० रुपया मासिक तक है लेकिन सरकार ने यह सुविधा १०० रुपया तक पाने वालों को देना

स्वीकार किया है । तीसरी सिफारिश यह थी कि मंहगाई भत्ता १ हजार रुपया तक वेतन पाने वालों तक को दिया जाय, सरकार ने इसे ९०० रुपये वेतन तक ही स्वीकार किया है । इसके अलावा समिति की सिफारिश थी कि जो लोग ५,००० फुट से ऊपर जाकर काम करते हैं उनको ऊंचाई पर रहने का भत्ता दिया जाय लेकिन सरकार ने यह सुविधा केवल ९०० रुपया तक पाने वालों के लिये ही स्वीकार की है । यही संशोधन सरकार ने किये हैं ।

श्री रामायणराय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की जो रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसी भी सिफारिश है जिसके तहत में ५० प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा मुक्त होंगे और क्या इस संबंध में कोई राजकीय आदेश भी जारी किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--

ऐसी कोई सिफारिश नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि वह ६०-६१ वर्ष की कीमतों का आधार मानकर चले हैं और उम्मीद है कि आगे भी यही कीमतें रहेंगी जबकि किसी रिपोर्ट में ४९ को, किसी में ५० को माना है लेकिन ६१ को कभी नहीं माना गया है, तो क्या सरकार बतायेगी कि ६०-६१ का ही आधार क्यों माना है ?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो समिति ने सिफारिश की है कि ६०-६१ को ही आधार माना जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरी सरकार से आपके द्वारा एक प्रार्थना है कि रिपोर्ट तो अभी हमारे हाथ में नहीं आई है और अभी हमने पूरी पढ़ी भी नहीं है लेकिन अखबारों में जो कुछ आया है उससे लगता है कि बड़ा भारी सर्विसेज में असन्तोष है और बहुत अधिक इस से प्रभावित हैं और इस के फलस्वरूप जो निर्णय होने जा रहा है वह बहुत दिनों तक के लिये निर्णय होगा बड़ा गंभीर प्रश्न है । मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वे सबसे आब्जेक्शन्स इन्वाइट करें और सारे आब्जेक्शन्स को लेकर फिर से उन पर विचार करें ताकि किसी को कोई शिकायत न रह जाय और उनकी दिक्कतें भी दूर हो जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के बारे में जो सूचना अखबारों में छपी है संभवतया उससे भ्रम पैदा हुआ हो । जो संस्तुति अभिनवीकरण समिति की स्वीकार की गयी है उनके अनुसार वेतन क्रमों में परिवर्तन हुये हैं लेकिन इसमें एक सिफारिश यह भी है कि यदि किसी कर्मचारी को आज की सेवायें अर्थात् वेतनक्रम जो उसे मिल रहा है, अच्छी समझता है तो बजाय नये वेतन क्रमों स्वीकार करे वह पुराने वेतनक्रमों और प्राप्त सुविधाओं को ही जारी रख सकता है । आजकल जो कर्मचारी सर्विसेज में हैं, उन्हें इस संस्तुति से कोई नुकसान संभव नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या यह सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है अथवा नहीं । उससे यह स्पष्ट होता है कि नहीं अतः इस विरोध में मैं सदन का २ मिनट के लिये त्याग करता हूं ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उग्रसेन--

मैंने सुना है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट की घोषणा के पश्चात्, उन शिकायतों के संबंध में जो सरकार के पास आयी हैं, की जांच के संबंध में सरकार ने एक २ या ३ आदमियों की एक समिति बैठायी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति की बैठक हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

जो जवाब माननीय मंत्री जी को देना था, वह उन्होंने दे दिया है।

श्री कैलाशप्रकाश--

सरकार जो भी काम करती है यदि उसे करने पर उसके पास प्रत्यावेदन आते हैं तो सरकार उन पर विचार करती है। अतः जो प्रत्यावेदन आयेंगे और आ भी रहे हैं, जो विचारणीय होंगे उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह वाक आउट क्यों हो गया ?

श्री अध्यक्ष --

आपको मालूम होगा।

श्री उग्रसेन--

माननीय नेता को भी एतराज है और हमको भी एतराज है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको एतराज है तो आप कहें। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आप सदन में ऐसी बात बोलते हैं कि जो सदन में शोभा नहीं देती है।

उन्होंने यह कहा कि "चूंकि सरकार का जवाब इस प्रकार है अतः मैं सदन छोड़ता हूं।"

श्री भीखालाल (जिला उज्जैन)--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो वेतन में वृद्धि हुई है, उसका सरकारी कोष पर कितना अधिक व्यय भार पड़ेगा ? और उसमें से कितना रुपया प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों पर और कितना शेष श्रेणियों के कर्मचारियों पर व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा--

इन सिफारिशों पर अमल करने में पूरे वर्ष में १५ करोड़, ११ लाख ६३ हजार का व्यय होगा। अलग-अलग श्रेणी के लिये कितना व्यय भार होगा, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य सदन में सवाल करता है और लिखकर देता है तो क्या उसे यह अधिकार नहीं है कि उसे सदन में सप्लीमेंटरी पर सवाल करने का मौका दिया जाय ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न -]

गंगोह परगना में भूमि सर्वेक्षण

*१--श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना गंगोह जिला सहारनपुर में यमुना नदी का रास्ता बदल देने के कारण कौन-कौन गांव का कितना-कितना रकबा यू० पी० में आया ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

निम्नांकित क्षेत्रफल पंजाब से उत्तर प्रदेश में आया :

गांव	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
१--डबकौली खुर्द	.. २,२९९
२--बिशनगढ़	.. ८२७
३--चौरा	.. १५३
४--शेरगढ़ टापू	.. ९४१
५--मानपुर	.. ७७६
६--बेगी	.. ५९४
७--शाह अलीपुर	.. १,०२२

*२--श्री यशपालसिंह वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्रामों का सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और अब वह किस स्टेज पर है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सर्वेक्षण का कार्य सन् १९५८ में प्रारम्भ हुआ। सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। खसरा की खानापूरी हो चुकी है। अधिकार अभिलेखों का तैयार होना शेष है।

*३--श्री यशपालसिंह वर्मा--

क्या यह सही है कि सर्वेक्षण के अन्तिम न होने के कारण ग्राम सराजपुर व बाबू खेड़ी तथा शेरगढ़ टापू और बेगी से किसानों के बीच भारी मुकदमेबाजी प्रारम्भ हो गई है और अब फसल के काटने पर किसानों में खिचाव चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार जांच करने के बाद सर्वेक्षण शीघ्र हो, अन्तिम कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कुछ मुकदमे अवश्य चल रहे हैं। अधिकार अभिलेखों की तैयारी का कार्य शीघ्र समाप्त करने के आदेश राजस्व परिषद् तथा जिलाधिकारी को दिये जा चुके हैं।

श्री यशपालसिंह वर्मा--

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिये कि उन्होंने अधिकार अभिलेखों को शीघ्र तैयार कराने के आदेश जारी किये हैं। मैं केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस काम को जल्दी करवाने की कृपा करें ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

आदेश जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिये दिये गये हैं। तारीख मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल है।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो रकबे नदी के बदलाव के कारण इधर आये हैं इन मौजों का पूरा सर्वे आप करा रहे हैं या नहीं ? इस वक्त वर्तमान स्थिति में सर्वे करा रहे हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सर्वे तो हो चुका है कागज बन रहे हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

उन मौजों के आने के बाद अब सर्वे हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पहले कैसे करते ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

लगभग ६, ७ हजार एकड़ रकबा पंजाब से आया है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वक्त इसके ऊपर कब्जा किसका है और मुस्तकिल तौर पर इसके इन्तजाम के लिये क्या स्कीम बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभिलेख तैयार हो जाय तब बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम किशोर त्रिपाठी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, अगर कई महानुभाव कोई प्रस्ताव या प्रश्न देते हैं तो केवल एक व्यक्ति सर्व प्रथम सूचना वाले का विशेष अधिकार उसके संबंध में रहता है । शेष का वैसे ही अधिकार रहता है जैसा इधर वाले सदस्यों का । अगर आप चाहें तो कृपया अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संलकन १९५२ से ६२ के पृष्ठ ३५८, निर्णय ११ का देख लें । यह आशा करना कि १५ आदमी अगर प्रश्न दे दें तो मैं उन १५ आदमियों को ही प्रश्न करने का अवसर दूं और बाकी सदस्यों को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता मैं अपने विवेकानुसार जिसका पहले प्रश्न है, उसको पहले मौका दूंगा और कोशिश करूंगा कि बाकी सब प्रश्नकर्ताओं को मौका दूं । उनका भी ध्यान रखा जायगा । लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । यह मेरा निर्णय है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

तीसरे नम्बर पर मेरा नाम है और आखिर में माननीय चन्द्रबलीसिंह का था ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । मैंने कहा कि आपको कोई विशेष अधिकार नहीं था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपके सचिवालय में ऐसी व्यवस्था है कि अगर एक साथ दो माननीय सदस्य एक ही आशय का प्रश्न पूछें तो एक सदस्य के नाम के नीचे सभी सदस्यों को नाम लिख दिया जाता है जिसके माने यह हो जाते हैं कि सब की दिलचस्पी है.....

श्री अध्यक्ष—

जिसका प्रश्न पहले आता है, जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम से इसमें लिखा जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सवाल तो ४ सदस्यों ने लिख कर भेजा अलग-अलग....

श्री अध्यक्ष--

यह निश्चित मत है, और आपको इस संबंध में और भी निर्णय दूंगा। आप कृपया बैठ जायं।

गवनरिया ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*४--श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के मोती चक नामी विकास क्षेत्र का ग्राम गवनरिया गत २० अप्रैल को आग लगने से समूचा का समूचा जल गया है? और जिसमें सभी खलिहान, मकान के सभी मालपत्ते, २ बच्चे और दो दर्जन जानवर जलकर मरे हैं? यदि हां, तो तत्काल सहायतार्थ एवं भविष्य के उनके योजना, भवन, वस्त्र और चारे के सवाल के लिये क्या कदम उठाया है?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कथित अग्निकांड से केवल २४ मकान और १ खलहान जला तथा २ छोटी बालिकाओं व एक बैल की मृत्यु हुई। इसका प्रभाव ३७ परिवारों पर पड़ेगा। कुल हानि २५,४८० रु० की आंकी गई है। पीड़ितों के सहायतार्थ ३२५ रु० की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटी गई। पीड़ितों को बता दिया गया था कि आवेदन करने पर उन्हें टीन और तकावी ऋण मिल सकता है। परन्तु कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुये।

श्री चन्द्रबली सिंह--

जो एक खलिहान जला है उसमें कितने परिवार अपनी फसलों को रखे हुये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बांकेलाल--

२५,४०० रुपये का नुकसान हुआ, २ बालिकायें मरीं, १ बैल जल गया और ३२५ रुपये की सहायता बांटी गयी और मंत्री जी का कहना है कि २४ घर जले और मेरा कहना यह है कि उस गांव में ७५ घरों में से ५५ घर जल गये तो मेरी सूचना को सही मान कर फिर से माननीय मंत्री क्या जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जो हमको सूचना जिले से मिली है वह २४ घर जलने की मिली है। यदि माननीय सदस्य को ज्यादा की जानकारी है तो वह लिख कर पूछ सकते हैं ताकि जानकारी मंगाने की व्यवस्था की जा सके।

श्री उग्रसेन--

२५ हजार रुपये की क्षति बतलायी गयी और माननीय मंत्री ने कहा कि ३२५ पये की अहेतुक सहायता दी गयी तो वह कितने परिवारों को दी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अध्यक्ष महोदय, अग्नि कांड के सम्बध में कुछ नियम बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत ३२५ रुपये की सहायता निःसहाय परिवारों को दी गयी। कुल ३७ परिवारों को वह सहायता दी गयी।

श्री मैनेजरसिंह—

अपने प्रदेश में अग्निकांड से जो परिवार असहाय हो जाते हैं उनके लिये जो अहेतुक सहायता की व्यवस्था है, उसमें जिले के अधिकारी विवेक से काम नहीं लेते और १०, १५ रुपये प्रति परिवार बांट देते हैं तो क्या सरकार ऐसे निर्देश देने की कृपा करेगी जिलाधिकारियों को कि वे ऐसी धनराशि दें जिससे असहाय परिवार का १०, १५ दिन तक भरण-पोषण हो सके और अपने शरीर के लिये वस्त्र खरीद सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अहेतुक सहायता टेम्पोरेरी रिलीफ होती है। जिस वक्त तकलीफ हो उसको सहारा दे दिया जाय। फिर वे अपने पैरों पैर खड़े हो जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जैसी अहेतुक सहायता बांटने की परिपाटी है और जिस प्रकार महंगाई बढ़ गयी है और पैसे की कीमत घट गयी है तो बाबा आदम के जमाने की इस नियमावली को सरकार तब्दील करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

[६ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, आजमगढ़ के अदीक्षित अध्यापक

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अर्धन कितने वर्षों से काम करने वाले, कितने अप्रशिक्षित अध्यापक हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता, उम्र तथा श्रेणी क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३५–५३६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो आखिर में दिया हुआ है कि १८ वर्ष से २६ वर्ष तक के १,०३० लड़कों को अध्यापक रखा गया है, उनमें से ४२५ अध्यापक ऐसे हैं जो जूनियर हाई स्कूल, तृतीय श्रेणी, हाई स्कूल तृतीय श्रेणी और इंटरमीडियेट तृतीय श्रेणी पास किये हुए हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ४२५ इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक तृतीय श्रेणी में पास क्यों रखे गये जबकि सरकारी आदेश है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के उम्मीदवार रखे जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार जिला परिषद् को है। इसलिये इसका उत्तर वही दे सकते हैं। माननीय सदस्य जो बात पूछेंगे उनसे पूछ कर बता दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक रखे गये हैं वे एक योजना के अन्तर्गत रखे गये हैं और उनका व्यय प्रदेशीय सरकार वहन करती है और जिला परिषदों को अनुदान के रूप में देती है और उसमें यह शर्त होती है, शायद १९६१ का जी० ओ० है कि

[श्री मैनेजर सिंह]

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के हाई स्कूल और इंटर वालों को वरीयता दी जाय? लेकिन जिला परिषद् ने इसका उल्लंघन कर के निम्नतम योग्यता के अध्यापकों को रखा है। इसलिये क्या मंत्री जी दबाव डालेंगे कि जो भी अप्रशिक्षित अध्यापक रखे जायं, वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी के हाई स्कूल तथा इंटर हों?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, जिला परिषदों को जो अधिकार दिये जाते हैं वे अधिनियम के द्वारा दिये जाते हैं। जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति का संबंध था, जिला परिषद् अधिनियम के द्वारा जो चुनाव समिति बनती थी उसको नियुक्त करने का अधिकार अंतिम रूप से था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समय-समय पर शासन यहां से परामर्श भेजता रहता है राज्यादेश के द्वारा और आशा यह की जाती है कि उन राज्यादेशों के द्वारा जो परामर्श दिये जाते हैं उन को ध्यान में रख कर जिला परिषद् कार्य करते हैं। माननीय सदस्य, जिला परिषद् के भी सदस्य हैं, जिस तरह से उन्हें यहां प्रश्न पूछने का अधिकार है वहां भी ऐसा ही अधिकार है। यदि कोई जिला परिषद् उस रूप में कार्य नहीं करता है तो सम्भवतः उस अधिकार का प्रयोग वे वहां भी कर सकते हैं। इसमें कुछ अन्दाज नहीं लगता है कि जो लोग उपलब्ध थे उनमें से अच्छे-अच्छे लोगों को छोड़ कर खराब को रख लिया। जहां तक हमारी बात है वह यह है कि जो योग्यता कम से कम निर्धारित की गई है उससे अधिक वाले ही वे लोग हैं। अब कम्परेटिव तुलना कैसे की उसका ब्यौरा यहां उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य जिला परिषद् के सदस्य की हैसियत से यदि कोई ऐसी बात भेजेंगे कि जिला परिषद् ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है तो उसके लिये जो कार्यवाही की जा सकती है उसकी चेष्टा अवश्य होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी जानकारी हासिल करेंगे कि जिला परिषद् अधिनियम में अधिकार है कि चुनाव समिति के द्वारा ही अध्यापकों का चयन हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो शिक्षक रखे गये हैं उनको चयन चुनाव समिति ने किया था या नहीं? मेरी जानकारी यह है कि समिति द्वारा चुनाव नहीं हुआ बल्कि चेयरमैन ने अपने आप किया। इसके अलावा एक दो नहीं बल्कि दस हजार ऐसे उम्मेदवार शामिल थे जो फर्स्ट और सेकिंड क्लास हाई स्कूल और इंटर थे लेकिन उनको न लेकर तृतीय श्रेणी के लोगों को लिया गया। क्या मंत्री जी इसकी इंक्वायरी करायेंगे?

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, उत्तर तो दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपा कर बैठ जायं। आपने इंक्वायरी के लिये कहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि जांच करायें। इसका उत्तर क्या है?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठ जायं।

खटीमा व सितारगंज तहसील में अनियमित पट्टे

*२--श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)--

(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की खटीमा व सितारगंज तहसीलों में सन् १९५९ में जो जंगलात आदि भूमि का नाजायज एलाटमेंट किया गया

था और जिनके खिलाफ शिकायत करने पर उन को खारिज कर दिया गया था, अब सरकार के किसी आदेश द्वारा उनको रेगुलेराइज किया जा रहा है ?

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने केस हैं जिसको रेगुलेराइज किया जा रहा है, ऐसे कितने केस हैं जिनको रेगुलेराइज नहीं किया जा रहा है ?

(ग) क्या जिन जमीनों में उस समय जंगलात के पेड़ खड़े थे उनमें की बहुत-सी जमीनों पर अब भी जंगलात के पेड़ हैं ? उन जमीनों को भी सरकार ने रेगुलेराइज करने का आदेश दिया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

(क) उक्त तहसीलों में सन् १९५९ में जंगलात की किसी भूमि का कोई एलाटमेंट डिप्टी कमिश्नर द्वारा नहीं किया गया था।

अन्य बंजर भूमि के पट्टे डिप्टी कमिश्नर ने दिये थे, उनके खिलाफ शिकायत होने पर राजस्व परिषद् ने उन लोगों के अनियमित पट्टे रद्द कर दिए जिनका भूमि पर कब्जा नहीं हुआ था। इन रद्द किये जा चुके एलाटमेंटों को रेगुलेराइज करने के कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन रद्द किये गये पट्टों को रेगुलराइज करने के लिए कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया। तो क्या वह पता लगाएंगे कि वहां के स्थानीय अधिकारी कहीं रेगुलराइज करने का उपक्रम तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यही पूछा गया है, तो उहोंने जवाब दिया, कोई नहीं हुआ ।

मरहद ब्लाक से तकावी वसूली के खिलाफ शिकायत

*३—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत मरहद ब्लाक के गंगा विशुन कोइरी, सुखनन्दन, राम आधार कोइरी, विश्वनाथ कोइरी, किशोर हरिजन ग्राम मरहद तथा राम चरित्र यादव व लछमन यादव पड़िता ने जिलाधीश महोदय के पास ता० २४ अगस्त, १९६२ को गलत तकावी वसूली के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं। इन व्यक्तियों ने जिला अधिकारी को न देकर अलग-अलग प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, गाजीपुर के यहां दिये थे।

*४—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों के प्रार्थना-पत्र पर कलेक्शन नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं कलेक्शन अधिकारी ने यह रिपोर्ट लगा कर जिला नियोजन अधिकारी के पास भेजा है कि उक्त किसानों के जिम्मे कोई तकावी बकाया नहीं है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां । नायब तहसीलदार व तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट कलेक्शन अधिकारी ने जिला नियोजन अधिकारी के पास इस संस्तुति के साथ अग्रसारित किया था कि ब्लाक अधिकारी मरदह के माध्यम से इसे दुरुस्त करा दिया जाय।

*५--श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारयों की रिपोर्ट के बावजूद भी उन किसानों से उस तकावी की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

तहसील में रिकार्ड में नाम के उलट फेर से तहसील से रिपोर्ट सही नहीं लगी थी। जिला अधिकारी ने जांच के पश्चात् बताया है कि वसूली उन्हीं लोगों से हो रही है जिनके नाम बकाया है।

श्री झिलमिटराम--

मैंने किसानों का नाम दे कर प्रश्न पूछा है। उन किसानों में से कितने ऐसे किसान जिनको गलत तरीके से तकावी वसूल करने की नोटिस दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारी तहसील में कहीं "सिंह" लिख दिया इसलिए गड़बड़ी हो गयी। असल में जो लोग देने के मुस्तौजिब हैं उन्हीं से वसूल किया जा रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गाजीपुर में यह बहुत बड़ी शिकायत है कि जो तहसीलदार साहब की तकावी की लिस्ट भेजी जाती है, वह बिलकुल गलत रहती है और सबूत देने के बाद भी वसूल कर लिया जाता है और कहा जाता है बाद में देखा जायगा। तो ऐसे आदेश निकालेंगे कि गलत वसूली न की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारी नोटिस में आये तो जरूर निकाल देंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

बलिया में जिसको तकावी नहीं दी गयी है उससे वसूल की जा रही है। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि उन बेचारों ने तकावी ली नहीं, कुछ धोखेबाज लोगों ने फर्जी तरीके से उनके उनके नाम से तकावी ली हो, गाजीपुर में भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, इसकी जांच करायेंगे तब वसूली करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

मुझे सूचना दी गयी है कि जिन पर बाकी है, उन्हीं से वसूल की जा रही है। इन्क्वायरी के बाद उन्होंने ऐसा लिखा होगा।

श्री भीखा लाल--

तकावी बांटने का काम विकास अधिकारी के जिम्मे है। वह तकावी की लिस्ट तहसील भेजते हैं। लिस्ट में नाम गलत आते हैं। तो क्या आप इस बात की कोशिश करेंगे कि जो नाम गलत भेज देते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह जब तहसील में भेजा जाता है और जब ऐसी शिकायत होती है, तो वह रेफर कर देते हैं। नामों में सिंह आदि लिखे रहने से इस प्रकार की गलती हो गयी वरना जो जिम्मेदार हैं, उन्हीं से वह वसूल की जाएगी और ऐसे ही वसूल की जाती है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि नामों के हेरफेर की वजह से यह गलती हुई है तो क्या जिन व्यक्तियों के नाम इसमें दिये गये हैं उन्हीं के नामों में गलती हुई है या अन्य व्यक्तियों के नामों में भी इसी प्रकार की गलती हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इन्हीं नामों में यह गलती हुई है जिसे ठीक कर के अब वसूल किया जा रहा है। यह इस वजह से हुआ कि जैसे कि कोई गंगा नाम हरिजन था तो उसके गंगा हरिजन लिखने के बजाय गंगासिंह लिख दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं राजस्व मंत्री जी की जानकारी में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन किसानों को पकड़ कर तहसील की हवालात में बन्द भी किया गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे कि उनके ऊपर कोई बकाया नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ कर बन्द कर दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नहीं दिया है तो पकड़े गये हैं तो जायज है।

श्री लखीसिंह--

इन गलत इन्द्राज, इन गलत वसूली और गलत तरीके से हवालात में बन्द किये जाने की जांच आपने किस अधिकारी से कराई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिले के अधिकारी ही करते हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

जो जिले के अधिकारी गड़बड़ी करते हैं आप उन्हीं से जांच कराते हैं।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप अधिकारी का नाम बता देते कि वह गलत है उससे न जांच कराई जाये तो न कराई जाती।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कलेक्शन आफिसर ने यह रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कोई बकाया नहीं है तब भी उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें जल में रखा गया है, तो क्या गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तहसीलदार की रिपोर्ट सही नहीं मानी गयी, वह गलती से लिखी गयी थी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर सुनाई ही नहीं पड़ता, खुद कह लेते हैं और खुद ही समझ लेते हैं, पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं।

लखनऊ में डिग्री कालेजों में डी० ए० की वसूली

*६—श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के विभिन्न डिग्री कालेजों ने विगत पांच वर्षों में (१९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५) अलग-अलग रूप में डी०ए० मद में कितना-कितना रुपया वसूल किया और उसका व्यय किन-किन मदों में हुआ? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपये में वसूल की गई यह रकम बिना किसी हिसाब-किताब के व्यय की गई?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न है विद्यालयों में इस मद का हिसाब किताब रखा जाता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३७–५४१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस सूची के नं० १ पर गया है जिसमें मंहगाई भत्ते के बचत २१,७३५ पए बताई गई ह और खर्च आप देखें, श्रीमन्, खर्च वर्दी पर और डी० ए० पर हुआ है। मैं जानता हूं कि जब मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को नियमित रूप से देने के लिये विद्यार्थियों से लिया जाता है और सरकार द्वारा सहायता मिलती है तो इस विभाग के संचालक ने ऐसा अनियमित काम क्यों किया है, इस पर क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, इस पर ध्यान गया है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि इसमें अधिक जानकारी की आवश्यकता है, वह की जायगी।

श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

जो यह भत्ता दिया गया है विद्यायान्त हिन्दू डिग्री कालेज ने जिन-जिन मदों पर उसे खर्च किया है उसके अतिरिक्त अध्यापकों को उन्होंने कितना दिया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

वह तो श्रीमन्, स्तम्भ ४ में दी हुई है और उन्होंने कितना-कितना भत्ता दिया है लिखा है। अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

के० के० डिग्री कालेज, लखनऊ में जो वर्दी चपरासियों को दी गयी है क्या उसका पैसा उसके डी० ए० से काट कर दी गयी है या उनके डी० ए० से अलग दी गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें अधिक जानकारी की आवश्यकता है और वह की जायगी। इस समय तक वह उपलब्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

इसके कालम ६ में स्पष्ट लिखा है कि वर्दी पर पैसा खर्च किया गया है तो इसमें जानकारी की क्या आवश्यकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--

यदि साफ लिखा है तब भी तो प्रश्न हुये हैं कि इसमें कितना वर्दी पर खर्च किया गया है तो उसे उनसे काट कर किया गया है या अलग से। तो जब तक यह सारी सूचनाय उपलब्ध नहीं हो जायंगी तब तक कोई निश्चित राय जाहिर करना उचित नहीं है। इसीलिये मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है वह की जायगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कान्यकुब्ज कालेज के चपरासियों में से किसी को कभी कोई वर्दी नहीं मिली ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अच्छा हो यदि माननीय सदस्य इसको लिख कर दे देंगे, उसके बारे में अवश्य जानकारी करा ली जायगी।

श्री बृजेश्वर सहाय--

माननीय मंत्री महोदय से जो सूचना मिली है उसमें है कि वर्दी वगैरह पर खर्च किया गया है। विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज में सन् १९६३-६४ में २२,७५१ रु० डी० ए० के लिये दिया गया था लेकिन ७,८८५ रुपया लिपिक वर्ग पर खर्च किया गया। लेकिन बाक़ी पया कहां खर्च कर दिया गया है यह पता नहीं है। तो क्या डी० ए० में यह पया दिया गया है या नहीं और अगर नहीं दिया गया है तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

कुछ शिकायतें इस संस्था के बारे में उपलब्ध हुई थीं। उनके आने पर यह आदेश दिया गया है कि इसके एकाउन्ट की आडिट हो और वह हो चुकी है। आडिट रिपोर्ट अभी निदेशालय में आयी या नहीं इसका पता हमें नहीं है। जैसे ही वह रिपोर्ट आ जायगी तब उसके मुताबिक जो कुछ भी आवश्यक होगा कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अध्यक्ष जी, आपको जानकारी होगी कि यह नियम है कालेज मंहगाई भत्ता वसूल करेंगे और उसके बाद २० रुपये की बढ़ोत्तरी के कारण जो उसमें कमी होगी वह सरकार देगी। तो मैं यह देखता हूं कि आई० टी आई० कालेज को छोड़कर सभी कालेजों में इतनी बचत डी० ए० में हुई है, करीब-करीब १ लाख रुपये के है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह रुपया ले लिया गया है तब बचत क्यों है? इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ये डिग्री कालेज हैं, इनमें शासन की ओर से कोई भत्ता नहीं दिया जाता था ? १ अप्रैल, सन् १९६५ के पहले प्रत्येक संस्था यह बात करती थी कि वह भत्ता उगाहती थी और वह अपने शिक्षकों और अपने कर्मचारियों को देती थी इसलिये यह तो प्रश्न नहीं उठता है। १ अप्रैल सन् १९६५ के पहले अगर किसी को भत्ते में कमी रह गई तो उसको सरकार से उपलब्ध हो जाता था।

*७—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८-१०—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

[हटा दिये गये ।]

*११—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

[२रे गुरुवार के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

एच०टी०सी० ट्रेनिंग कालेज, झांसी के लिए चुनाव में अनियमितता

*१२—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६५ में झांसी में लड़कियों का एच० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज खोला गया और उसमें लड़कियों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये और सेलेक्शन किया गया लेकिन उन लड़कियों को, जिनको सलेक्शन में बुलाया गया था, न लेकर, जून, सन् १९६४ ई० की जो जे० टी० सी० को लड़कियों की सलेक्शन से रिजेक्टेड लिस्ट थी, उसी लिस्ट की लड़कियों को ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जनवरी, सन् १९६५ में लड़कियों के प्रशिक्षण के लिये राजकीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी के साथ एक एच० टी० सी० यूनिट संलग्न किया गया। चूंकि एच० टी० सी० यूनिट देर में (जनवरी, १९६५) खुली इसलिये अभ्यर्थिनियों का साक्षात्कार नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में प्रवेश हेतु अभ्यर्थिनियों का चुनाव मांगे गये आवेदन-पत्रों तथा जे० टी० सी० की बीच हुई सूची से कर लिया गया।

श्रीमती बेनीबाई—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां पर लड़कियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था किन्तु इसके बाद दूसरी रिजेक्टेड लिस्ट से लड़कियों का सेलेक्शन किया गया तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसकी मुझे निश्चित सूचना नहीं है कि लड़कियों को बुलाने के लिये कोई नोटिस भेजी गई थी लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया तो जनवरी में खुलने में कुछ और देर हो जाती अगर इन्टरव्यू किया जाता तो उस सा न देर हो जाती।

गुलिस्तान लखनऊ में क्वार्टर्स का एलाटमेंट

*१३—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में गुलिस्तान में क्वार्टर्स इस योजना के अन्तर्गत बने कि ग्रुप सेकेन्ड के अधिकारियों को दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कितने क्वार्टर बने और उसमें कितने सेकेन्ड ग्रुप के लोग हैं तथा और कौन-कौन हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की योजना में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिये ४५० मकान बनाने का प्राविधान था।

संकटकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् इस योजना को बहुत कम कर दिया गया और अधिकारियों के लिये (तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये स्वीकृत पूंजी मूल्य के)

केवल १०० मकान बनाने का निश्चय किया गया। इसमें से ८० मकान गुलिस्तान में बन रहे हैं। ६४ मकान बनकर तैयार है और ये इस भांति विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटित है :

आई० ए० एस०, आई पी० एस०	..	..	२५
हाउस जुडीशियल सर्विस अधीक्षण अभियन्ता			
प्रथम श्रेणी के अधिकारी Class I	..	..	१३
द्वितीय श्रेणी के अधिकारी Class II	..	..	२५
इस समय खाली है	..	..	.. १

*१४—श्री चन्दनसिंह (अनुपस्थित), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६३ तथा १९६४ में और फरवरी, १९६५ तक कितनी दरख्वास्तें कब-कब आईं और प्रार्थियों को कब-कब क्वार्टर दिये गये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सन् १९६३ में कुल २३५ प्रार्थना-पत्र, सन् १९६४ में १९१ प्रार्थना-पत्र तथा जनवरी और फरवरी, १९६५ में कुल १२ प्रार्थना-पत्र आये। सन् १९६३ में ८ प्रार्थियों को, सन् १९६४ में ६१ प्रार्थियों को तथा जनवरी व फरवरी, १९६५ में ९ प्रार्थियों को फ्लेट आवंटित किये गये।

*१५—श्री चन्दनसिंह (अनुपस्थित), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या यह भी सही है कि पहले प्रार्थना-पत्र देने वालों को क्वार्टर नहीं दिये गये और बाद वालों को दे दिये गये हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

फ्लैटों के आबंटन के लिये केवल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि ही आधार नहीं है। अधिकारियों की लखनऊ में नियुक्ति की तिथि, पद, ज्येष्ठता, वेतन-क्रम तथा अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करके आवन्ट किया जाता है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब क्लास टू के अधिकारियों के लिये मकान बनाने की योजना थी और वह उन्हीं के लिये बनाये गये तो ऊंची श्रेणी के अधिकारियों तथा बाहर के लोगों को मकान क्यों दिये गये ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इमर्जेंसी की वजह से जो ओरीजनल स्कीम थी ४०० मकानों की उसमें तरमीम हुई और सिर्फ १०० मकान बनाये गये, लेकिन किसी खास क्लास के लिये वह रिजर्व नहीं किये गये, न ऐसा करना संभव ही था क्योंकि सब क्लास के लोग आते हैं और सबकी जरूरत होती है और जरूरत के मुताबिक हम को मकान एलाट करने पड़ते हैं।

श्री ऊदल—

प्रश्न १५ में शिकायत यह है कि जिन लोगों की दरख्वास्तें पहले से पड़ी थीं उनको मकान नहीं दिये गये और बाद की दरख्वास्त वालों को दे दिये गये, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—

जवाब में वजह बतला दी है कि खाली दरख्वास्त देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जिस तारीख को लखनऊ में तैनाती होती है वह भी देखी जाती है । मान लीजिये कि तबादले के पहले ही अगर किसी ने दरख्वास्त दे दी तो क्या उसको यहां आने से पहले ही मकान एलाट हो जायगा ?

जिला परिषद्, पीलीभीत में अदीक्षित अध्यापिकायें

*१६—श्री अनीसुर्रहमान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत, जिला परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं में कितनी अनट्रेंड अध्यापिकायें सेवा कर रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषद्, पीलीभीत के अधीन १४८ अन्ट्रेंड अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं।

*१७—श्री अनीसुर्रहमान—

कितने प्राइमरी और बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में ऐसी अध्यापिकायें, जिनकी उम्र ३० वर्ष से अधिक है और वह १० साल या १० साल से अधिक हैं सेवा कर रही हैं ? क्या सरकार ऐसी अध्यापिकाओं को नार्मल ट्रेनिंग के लिये छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसी केवल एक अध्यापिका है । उसे नार्मल ट्रेनिंग से छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया क्लर्क, बदायूं के खिलाफ शिकायतें

*१८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

३० अप्रैल, १९६५ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न २२ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित टाउन एरिया क्लर्क ने २५,००० रुपये के ऊपर की लागत की कोठी अपने पिता के साथ साझे में जमीन खरीद कर स्वयं बनाई ? अन्य सब सामान सीमेंट, लोहा, लकड़ी, बिजली फिटिंग व मीटर स्वयं खरीदा है तथा हाउस टैक्स की अपील भी अपने नाम से की है ? यदि हां, तो यह देखकर कि इतनी सम्पत्ति का अर्जन एक साधारण टाउन एरिया क्लर्क भ्रष्टाचार के आधार पर ही कर सकता है । क्या सरकार उसकी सम्पत्ति की पूरी जांच करके उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जैसा कि कथित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है कि टाउन एरिया क्लर्क के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में कलेक्टर, बदायूं ने जांच कराई थी । उसके फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि टाउन एरिया क्लर्क ने अपने पिता के साझे में २००० रुपये में जमीन खरीदी थी । मकान बनवाने में उनके पिता का रुपया लगा है जिसकी लागत सात आठ हजार रुपये के लगभग है । यह भी ज्ञात हुआ है कि सामान, बिजली फिटिंग व मीटर उनके नाम से खरीदा गया क्योंकि वह उस मकान में रहते हैं परन्तु इसका खर्चा उनके पिता ने ही दिया था । गृह-कर क्लर्क के नाम लगा था इसी कारण उन्होंने उसकी अपील की थी । इन परिस्थितियों में इस मामले में कोई और जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१९—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२रे बुधवार के लिए प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०–२२—श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर)—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३–२५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[हटा दिये गये]

तहसील अनूपशहर की सीमा

*२६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के उस भाग को, जो कि तहसील अनूपशहर में है, तहसील अनूपशहर से निकाल कर वहां की जनता की सुविधा और उन्नति के लिये तहसील बुलन्दशहर में सम्मिलित करने पर ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकार के सामने बुलन्दशहर की तहसीलों के सीमा परिवर्तन का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

लखीमपुर में कुमारी अरविन्द बाला को छात्रवृत्ति न मिलना

*२७—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा १९६२ में कन्या परीक्षार्थियों में प्रथम स्थान किस को प्राप्त हुआ तथा १९६२–६३ में शिक्षा संहिता की धारा २६० और २६७ के अधीन प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण छात्र-वृत्ति किस कन्या को दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

लखीमपुर-खीरी में १९६२ की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में कुमारी अरबिन्द बाला (पुत्री श्री बलवन्त सिंह) को लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था । चूंकि वह लखीमपुर-खीरी छोड़कर महिला विद्यालय, लखनऊ में प्रविष्ट हो गई थी। अतः शिक्षा संहिता की धारा २६७ के अन्तर्गत हाई स्कूल छात्र-वृत्ति कुमारी मनोरमा (पुत्री श्री श्याम मनोहर) को दी गई । शिक्षा संहिता की धारा २६० के अन्तर्गत किसी छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं दी की गई क्योंकि छात्र छात्राओं के सम्मिलित योग्यता क्रम में प्रथम तथा द्वितीय स्थान किसी छात्रा को नहीं प्राप्त हुआ ।

लखनऊ में कुकरायल के समीप क्वार्टर्स बनाने की योजना

*२८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि लखनऊ, बादशाहनगर स्टेशन के समीप कुकरायल बांध से मिले हुए जो सरकारी क्वार्टर्स लोअर तथा अपर डिवीजन सहायकों के लिये बनाने की योजना है उसके लिये जो भूमि चुनी गई है, वह भूमि बिलकुल अनुपयुक्त है तथा भवन को खतरा होगा क्योंकि दो फिट पर ही पानी-स्तर है तथा हर साल बाढ़ का पानी भर जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह सही नहीं है कि भूमि मकान बनाने के लिए अनुपयुक्त है । इसका कुछ हिस्सा नीचा जरूर है लेकिन वहां पानी इकट्ठा न हो और उससे मकानों को कोई खतरा न हो, इसके लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है ।

*२९---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या योजना तैयार कराने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था अथवा नहीं ? यदि हां, तो इसके पूर्व क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां । इस भूमि का सर्वेक्षण मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा कराया गया था । उनकी राय थी कि कुकरैल बांध बन जाने के पश्चात् उस नदी की बाढ़ से तो कोई भय नहीं रहा, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने पर इस निचले हिस्से में पानी भरने की संभावना अवश्य रहती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये सुझाव था कि:

१---मिट्टी भरकर उस स्थान को कुछ ऊंचा कर दिया जाए और मकानों की कुर्सी भी अधिक ऊंची रखी जाए।

२---सबसे निचले हिस्से में एक 'सम्प बेल' खोदा जाए जिससे जमा होने वाला पानी पंपिंग सैट लगाकर बाहर फेंक दिया जाय ।

३---सीवेज लाइन महानगर सीवेज पंपिंग स्टेशन से मिला दी जाए ।

४---सार्वजनिक निर्माण विभाग, अन्वेषणालय (रिसर्च इंसस्टीट्यूट) के द्वारा इस भूमि की जांच करके दिये गये सुझावों के अनुसार नींव की डिजाइन विशेष प्रकार की रखी जाये ।

भूमि-अध्याप्ति (प्रतिकर) समिति की रिपोर्ट

*३०---श्री भीखालाल---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक कार्यों के लिये ली जाने वाली भूमि के मुआवजे से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने और उन्हें मौजूदा कीमतों के आधार पर निरीक्षण करके सुझाव देने के लिये किसी कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया और सरकार को रिपोर्ट दे दी है ? यदि नहीं, तो कमेटी की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, शासन द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि-अध्याप्ति (प्रतिकर) समिति का गठन हुआ था । उसने रिपोर्ट शासन को दे दी है ।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ के लिये भवन

*३१---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़, के पास अपने भवन आदि के लिये कोई स्थान नहीं है तथा वर्तमान भवन जो किराये पर है बहुत ही जीर्ण-क्षीण स्थिति में है ? यदि हां, तो उसके लिये उचित स्थान तथा भवन के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां । वर्तमान विद्यालय की भूमि खरीद कर उसी स्थान पर भवन बनवाने का प्रस्ताव है । भूमि के क्रय-मूल्य पर सरकार विचार कर रही है ।

ग्राम कल्याणपुर में लगान में बढ़ती

*३२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणपुर ग्राम, तहसील कासगंज (एटा) के खाता नं० १९८ का लगान सरकार ने २० रुपये सैकड़ा करके ५२ रुपये १४ न० पै० कर दिया है और सरकार ने बढ़े हुये लगान की दर से पूरा का पूरा रुपया १९५२ से ले कर अब तक वसूल कर लिया है ? यदि हां, तो उस खेत के लगान को किस श्रेणी का समझ कर ये वसूलयाबी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २४७ के अन्दर सर्किल रेट के हिसाब से हाकिम परगना ने मालगुजारी कायम की और बकाया उसी हिसाब से वसूल किया गया।

*३३--श्री इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर)--

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हरिजन अध्यापक

*३४--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले कुल अध्यापकों की संख्या क्या है तथा इनमें हरिजन एवं पिछड़ी हुई जातियों क कितने लोग हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३५--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किया गया।]

चतुर्थ वित्तीय आयोग

*३६--श्री कृष्णानन्दराय--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ वित्तीय आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आयोय ने क्या विशेष सिफारिशें की हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं, चतुर्थ वित्तीय आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सवाल के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में अध्यापकों का फंड तथा वेतन

*३७--श्री होरीलाल यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के कौन-कौन हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट कालेज के प्रबन्धकों व अध्यापकों के प्राविडेंट फंड का रुपया जमा नहीं किया है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३८—श्री होरी लाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कौन-कौन हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट कालेजों के अध्यापकों का दो माह या उससे अधिक समय का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वर्षा की प्रगति

*३९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में वर्षा की प्रवृत्ति में होने वाले नित्य नवीन परिवर्तनों के कारणों की जांच कुछ दिन पूर्व कराई गई है ? यदि हां, तो परिवर्तन के क्या-क्या कारण सामने आये तथा उनके सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या करने की योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उठता ही नहीं है ।

पुस्तकालयों की सुरक्षा

*४०—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य में पुस्तकालयों की सुरक्षा और उन्नति के सम्बन्ध में कुछ दूसरे राज्यों के समान कोई कानून बनाने पर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विभिन्न प्रदेशों में पुस्तकालयों की उन्नति के लिये १९६३ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के पास "माडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल" भेजा था । इस सरकार ने उक्त बिल के सम्बन्ध में अपने विचार भारत सरकार को भेजे, किन्तु बाद में भारत सरकार ने यह सूचित किया कि उन्होंने उस बिल पर अनिश्चित काल के लिये विचार करना स्थगित कर दिया है । अतः यहां पुस्तकालयों के सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार नहीं किया जा सका ।

विकास खंडों को प्रशासनिक इकाइयां बनाने का सुझाव

*४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य में तहसीलों को समाप्त कर के विकास खंडों को एक प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर ध्यान देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सम्प्रति ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

*४२-४३—श्री भीखालाल—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले में निलम्बित लेखपालों का वेतन

*४४---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ऐसे किन-किन लेखपालों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जो वित्तीय वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कुछ दिन निलम्बित रहे परन्तु कमिश्नर के इस आदेश के साथ दुबारा नौकरी पाये कि उन्हें पूरा वेतन दे दिया जाय, फिर भी उन निलम्बन काल का वेतन नहीं दिया गया ? क्या सरकार उल्लिखित जिन लेखपालों का वेतन बकाया है उनके सम्बन्ध में कृपया यह बतायेगी कि किस-किस का कितने-कितने दिनों का वेतन बकाया है ? अब तक वेतन न दिये जाने का क्या कारण है और वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सूचना सदन की मेज पर रख दी है। प्रार्थना-पत्र नहीं पड़े थे पर मामले विचाराधीन हैं। कलेक्टर को तत्काल वेतन अदा करने के लिये शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४२ पर)

हरदोई जिले में नायब तहसीलदार

*४५---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री बेदराम---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में ऐसे कितने नायब तहसीलदार हैं जिन्हें उस जिले में (१) ३ वर्ष से अधिक हो गया है ? (२) ५ वर्ष से अधिक हो गया ? और उनमें ऐसे कितने हैं जिन्हें एक ही तहसील में तीन वर्ष से अधिक हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

(१) एक नायब तहसीलदार।

(२) कोई नहीं। एक तहसील में काम करते हुये किसी को भी तीन वर्ष से अधिक नहीं हुआ।

*४६---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विकास खंड, जसपुरा में अध्यापकों का वेतन

*४७---श्री उग्रसेन---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, बांदा के अन्तर्गत विकास खंड जसपुरा की प्राइमरी पाठशालाओं में कितने प्रशिक्षित अध्यापक हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्रश्नगत विकास खंड में ५१ प्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

*४८---श्री उग्रसेन---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त विकास खंड के प्राइमरी (प्रशिक्षित) अध्यापकों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें गत ४-५ माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है ? उनके क्या नाम हैं और किन-किन पाठशालाओं में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परिषद् द्वारा जुलाई, १९६५ में सूचना मिली है कि सभी अध्यापकों का जून, १९६५ तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

*४९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार उपरोक्त अध्यापकों का शीघ्र वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी और वेतन अब तक न मिलने का कारण भी बतायेगी तथा भविष्य में ऐसी असुविधा जिन कारणों या व्यक्तियों से होती है उसके निवारणार्थ कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्री-कर की बकाया धनराशि

*५०—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सेल्स टैक्स का कुल कितना बकाया अब तक है?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रदेश में ३१ मार्च, १९६५ तक बिक्री-कर की बकाया धनराशि १२.७५ करोड़ रुपये थी ।

*५१—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

कानपुर के किन-किन मालिकों पर कितना-कितना रुपया कितनी अवधि से सेल्स-टैक्स का बाकी है और सरकार ने उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४३–५४७ पर)

*५२—श्री सुरजनराम विशारद, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया ।]

*५३—श्री सुरजनराम विशारद, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं कलेक्टरी कर्मचारियों की अपील

*५४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिला कलेक्टरी द्वारा वर्ष १९६२-६३ में कौन-कौन कर्मचारी नौकरी से पृथक किये गये तथा किन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में अपने मामले की अपील की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बदायूं कलेक्टरी के निम्नलिखित सात अस्थायी कर्मचारी १९६२-६३ में सेवा से पृथक किये गये । इनमें से श्री कृष्ण कुमार गोयल को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों ने राजस्व परिषद् को अपने मामले में प्रत्यावेदन भेजा था—

(१) श्री बांके बिहारी लाल

(२) श्री महेश चन्द्र सक्सेना,

(३) श्री हर प्रसाद सिंह राठौर,

(४) श्री शहंशाह अब्बास जैदी,

(५) श्री गुलाम जीलानी

(६) श्री मुहम्मद असलम नकवी

(७) श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

*५५—श्री उल्फतसिंह यादव—

बोर्ड द्वारा प्रश्न एक में उल्लिखित अपीलों के सम्बन्ध में जुलाई, १९६३ में क्या निर्णय दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

*५६—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जुलाई, १९६३ में बोर्ड ने जिन पृथक किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी देने का फैसला किया क्या उन्हें पुनः नौकरी दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां ।

कानपुर में फीस न देने वाली लड़कियों के नाम कटना

*५७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगरपालिका गर्ल्स हाई स्कूल, सदर बाजार की सातवीं कक्षा की छात्राओं से शिक्षा शुल्क माह फरवरी, १९६५ का वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सभी छात्राओं से शिक्षा शुल्क वसूल किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

*५८—श्री मन्नालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा ७ की किसी छात्रा का नाम शिक्षा शुल्क न देने के कारण काट दिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराके सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । माह फरवरी, १९६५ की शिक्षा तथा अन्य देय शुल्क न देने के कारण दो छात्राओं का नाम काट दिया गया था किन्तु उन्हें माच, १९६५ में पुनः प्रविष्ट कर लिया गया ।

श्री दुर्गाजी डिग्री कालेज, चन्डेसर में बकाया छात्रवृत्ति

*५९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री प्रश्नकर्त्ता के ८ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११–१२ के संदर्भ में बतान की कृपा करेंगे कि कि श्री दुर्गाजी डिग्री कालेज चन्डेसर, जिला आजमगढ़, जो राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित विद्यार्थियों की बकाया छात्र-वृत्ति मई-जून, १९६० का भुगतान कर दिया गया है । यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य से पूछ-ताछ की जा रही है।

*६०-६२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६३-६४—श्री कृष्णानन्दराय—

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६५-६६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर २रे शुक्रवार (१३-८-६५) के लिये स्थगित किये गये।]

*६७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किया गया।]

चकबन्दी व्यय

*६८—श्री बेदराम—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जो चकबन्दी प्रदेश में हो रही है उसके लिए भारत सरकार से कितना अनुदान मिलता है तथा प्रदेश में सरकार उस पर औसत व्यय कितना करती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्रदेश में चकबन्दी पर औसत व्यय २१५.५९ लाख रु० प्रति वर्ष हुआ है। चकबन्दी व्यय का चौथाई अंश भारत सरकार तथा लगभग उतना ही भाग प्रदेशीय सरकार वहन करती है।

*६९—श्री बेदराम—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत सरकार अनुदान देती है उसमें समस्त कार्य चकबन्दी का हो जाता है? यदि हां, तो किसान से जो खर्चा सरकार लेती है उसमें कमी करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७०—श्री बेदराम—

क्या राजस्व मन्त्री चकबन्दी पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में कुल जितना धन सरकार द्वारा व्यय किया गया उसके सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) कितना अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा मिला, (२) कितना अंश काश्तकारों से वसूल किए गए धन से व्यय हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के अन्तर्गत चकबन्दी योजना पर कुल २१६.५४ लाख रुपया व्यय किया गया। चकबन्दी योजना पर किए गए कुल खर्चे का चौथा अंश केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है तथा आधा अंश खातेदारों से वसूल किया जाता है। शेष चौथाई अंश राज्य सरकार स्वयं वहन करती है।

गणेश शंकर हायर सेकेंड्री स्कूल, हथगांव का आडिट

*७१—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर स्थित गणेश शंकर हायर सेकेन्डरी स्कूल, हथगांव जो कि सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त संस्था है, का आडिट मान्यता प्राप्त के बाद कब-कब किया गया तथा अन्तिम आडिट कब दिया गया और उपरोक्त आडिट के क्या परिणाम रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस संस्था का आडिट लोकल फंड द्वारा १९६०–६१ से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अन्तिम आडिट जून, १९५६ में हुआ है। इस प्रकार ५ बार आडिट हो चुका तथा ३ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। उनमें कोई गम्भीर आपत्ति या गड़बड़ी नहीं है।

*७२—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या यह सही है कि स्कूल की प्रबन्धक समिति का चुनाव पिछले अनेक वर्षों से नहीं कराया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। प्रबन्धसमिति का गत चुनाव ९ नवम्बर, १९६४ को सम्पन्न हुआ है।

आजमगढ़ जिले में जोत सीमा आरोपण विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*७३—श्री सुरजनराम विशारद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक के लागू होने के पश्चात् तहसील लालगंज व फूलपुर, जिला आजमगढ़ में कितनी भूमि प्राप्त हुई और वह किन-किन गांवों में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील लालगंज में ५९.२१२ एकड़ और तहसील फूलपुर में ७७.५३० एकड़। इसकी ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५४९–५५० पर)

*७४—श्री झिलमिटराम—

(१३ अगस्त, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।)

*७५—श्री ऊदल—

[३रे गुरुवार के लिए प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला जौनपुर में चकबन्दी के खिलाफ शिकायतें

*७६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक ७ मार्च, १९६४ को कलेक्टर, जिला जौनपुर को कई हजार किसानों ने चकबन्दी के विषय में लगभग २,००० दरख्वास्तें दीं ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

७ मार्च ,१९६४ और १ मई, १९६४ को जिलाधीश जौनपुर को किसानों की ७३४ व ४३७ दरख्वास्तें मिलीं। इन सभी पर जांच कराई गई। २२८ दरख्वास्तें अंशतः सही थीं और उनमें उल्लिखित शिकायतों का निराकरण किया गया। शेष ९४३ दरख्वास्तें निराधार पाई गई।

*७७--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस सम्बन्ध में २ नवम्बर, १९६४ को मुख्य मंत्री को भी सैकड़ों दरख्वास्तें उनके जौनपुर के दौरे के वक्त दी गई थीं? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२ नवम्बर, १९६४ को मुख्य मंत्री को कुल ६० दरख्वास्तें दी गयीं। इनमें मुख्यतः अन्तिम अभिलेख व भू-चित्र में हुई अशुद्धियों के निराकरण के लिए प्रार्थना की गई थी।

*७८--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री को यह मालूम है कि मई, १९६४ में सी० ओ० चौकी, जिला जौनपुर के दफ्तर में अहलकारों की तरफ से हजारों मिसलें जलाई गयीं जिसमें से कुछ अधजली मिसलें कलेक्टर साहब के पास पेश की गई थीं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। मई, सन् १९६४ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले में टेस्ट वर्क

*७९--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला रायबरेली के रायबरेली दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत कहां-कहां और कब सड़कें बनीं और चालू वित्तीय वर्ष, १९६५-६६ में इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की क्या रूप-रेखा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रायबरेली जिले में रायबरेली दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में टेस्ट वर्क योजना के अतर्गत कोई सड़क नहीं बनी। टेस्ट वक की जो योजनायें हैं उनमें निम्नलिखित सड़कों का निर्माण शामिल हैं:

(१) कच्ची सड़क दरीबा से नकफलुहा तक का पक्का करना।

(२) कच्ची सड़क मलिकमऊ से रूस्तमपुर तक का पक्का करना,

(३) कच्ची सड़क रायबरेली से घूराडीह तक का पक्का करना।

पर १९६५-६६ वर्ष के बजट में टेस्ट वर्क की योजनाओं को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि टेस्ट वर्क तभी आरम्भ किए जाते हैं जब किसी गम्भीर प्राकृतिक आपदा के कारण भुखमरी फैलने का डर हो।

*८०--श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[१३ अगस्त, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

नथईपुर में जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता

*८१—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना जो सरकार द्वारा चल रही थी उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या स्थान नथईपुर कुम्भार, ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी में एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल खोलने पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि यहां से ६ मील की एरिया में कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। उक्त योजना के अन्तर्गत इस स्थान पर सरकारी जूनियर हाई स्कूल खोलना सम्भव नहीं है।

राजेन्द्रप्रसाद इंटर कालेज मीरगंज, के खिलाफ शिकायतें

*८२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अप्रैल, १९६५ में कितनी शिकायतें राजेन्द्र-प्रसाद इन्टर कालेज, मीरगंज, जिला बरेली में होने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में निरीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को अनुचित मदद देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

४ शिकायतें प्राप्त हुयीं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, द्वारा उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधीश सहारनपुर के विरुद्ध जांच

*८३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि भूतपूर्व जिला अधिकारी, सहारनपुर जिनके विरुद्ध पांच हजार रुपए को २ १/२ वर्ष तक अपने पास रखने के बारे में प्रश्नकर्ता के प्रश्न दिनांक २६ मार्च, १९६५ के सम्बन्ध में जो जांच के आदेश दिए गए थे उसका क्या फल निकला और किन कारणों से उन्हें फिर जिलाधीश के पद पर फैजाबाद भेजा गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मामले की जांच अभी जारी है, रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

यह आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ जांच के दौरान में उन्हें जिला मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, अगर जांच से उनकी गलती साबित हुई तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*८४—श्री जगन्नाथ राव—

[३रे बुधवार के लिए प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अध्यापकों की आय में वृद्धि

*८५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के टीचर्स की तनख्वाह के सिलसिले में व उनकी अन्य मांगों पर सरकार कब तक कोई फैसला करन जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अध्यापकों की आय में वृद्धि के सम्बन्ध में शासकीय आदेश २७ जुलाई, १९६५ को जारी कर दिए गए हैं। इनके अनुसार विभिन्न स्तर के अध्यापकों की कुल आय में निम्नांकित वृद्धि १ अगस्त, १९६५ से कर दी गई है :

प्राइमरी स्तर--

	रुपया मासिक
(१) जूनियर बेसिक पाठशाला के प्रशिक्षित अध्यापक और प्रधान अध्यापक	२०
(२) जूनियर बेसिक पाठशाला के अप्रशिक्षित अध्यापक ..	२१
(३) सीनियर बेसिक पाठशालाओं के अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक	२०

माध्यमिक स्तर--

समस्त वर्ग के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी ..	२०

डिग्री स्तर--

(१) समस्त वर्ग के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी जिनका वेतन ३५० रु० मासिक तक है	२०
(२) समस्त वर्ग के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी जिनका वेतन ३५१ रु० से ८५० रु० तक है	४०
(३) समस्त वर्ग के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी जिनका वेतन ८५१ रु० से ८८९ रु० तक है	उतनी धनराशि जिससे उनका वेतन ८९० रु० मासिक से अधिक न हो।

अध्यापकों की अन्य मांगें विशेष रूप से निम्नांकित रही हैं :

(१) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से वेतन भत्तों में समानता।

(२) लाभत्रयी योजना का लागू किया जाना।

(३) सेवा सुरक्षा।

(४) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण ।

इनमें लाभत्रयी योजना १-१०-६४ से लागू की जा चुकी है। सेवा सुरक्षा समुचित मात्रा में इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९५८ के अन्तर्गत दी जा चुकी है। समानता और राष्ट्रीयकरण की मांग अस्वीकार की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य उल्लेखनीय मांगें शेष नहीं हैं।

*८६-८७--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

[१३ अगस्त, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

*८८-८९--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

[१३ अगस्त, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

कन्नौज तहसील में बिक्री-कर बकाया

*९०--श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री बेदराम तथा श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की कन्नौज तहसील में ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जिन पर कि बिक्री-कर का १० हजार रुपए से अधिक का बकाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

फर्रुखाबाद जिले की कन्नौज तहसील में सर्वश्री बेनीराम मूल चन्द, परफ्यूमर्स एवं मन्नूलाल राम नारायन, परफ्यूमर्स, दो फर्म ऐसे हैं जिन पर १ अप्रैल, १९६५ को १० हजार रुपए से अधिक बिक्री-कर का बकाया था।

*९१--श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री बेदराम तथा श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किस-किस पर कितना बकाया तथा कितने दिनों से है और अब तक वसूल न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ पर ५५१-५५२ पर)

मंकोली ग्राम वासियों के लिये भूमि

*९२--श्री कृष्णसिंह (जिलाटेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उत्तरकाशी के मंकोली ग्रामवासियों की काश्त की जमीन जो लैंड स्लाइड से बर्बाद हो गई है और मंकोली ग्राम जो उस लैंड स्लाइड से खतरे में है उस ग्राम के निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थान में बसाने व उनको अन्य जगह काश्त के लिए जमीन देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

"बुद्ध चरित" प्रकाशनार्थ तथा साहित्यकार संसद, इलाहाबाद के लिये दिया गया धन

*९३--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को पांच हजार रुपए की वित्तीय सहायता 'बुद्ध चरित' के प्रकाशनार्थ दी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक इसके प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९४--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या यह सही है कि साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को साहित्यकारों की सहायता के नाम पर दस हजार रुपए का सरकारी ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक प्रेस क्यों नहीं खोला गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[१३ अगस्त, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

हसनगंज तहसील के पट्टों में अनियमितता

२—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम फतेहपुर दवीर उर्फ नरसा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के निवासियों ने अक्तूबर से दिसम्बर, १९६४ व जनवरी, फरवरी, सन् १९६५ में जिलाधीश, उन्नाव व परगनाधीश हसनगंज को कई प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की कि प्रधान, ग्राम सभा ने ग्राम समाज की भूमि के पट्टे नियमों का उल्लंघन करके किए हैं और व्यक्तिगत लाभ उठाया है? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। उक्त ग्राम के निवासियों ने २१-११-६४, १३-१२-६४, २४-२-६५ तथा २५-२-६५ को जिलाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिए थे। जांच कराने पर पांच पट्टों में अनियमितता पाई गई। इन पट्टों को खारिज किए जाने के निमित्त नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

राधेहरि माध्यमिक विद्यालय, टनकपुर को महंगाई अनुदान

३—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के राजाज्ञा के अनुसार प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जुलाई, सन् १९६२ से २० रुपए प्रतिमास मंहगाई भत्ता देने का आदेश हुआ है और सरकार उन विद्यालयों की क्षति-पूर्ति के लिए अनुदान देती है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। जहां कहीं मंहगाई भत्ते पर व्यय मंहगाई शुल्क से अधिक होता है वहां जो अन्तर होता है वह अनुदान के रूप में दिया जाता है।

४—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया उच्चतर राधहरि माध्यमिक विद्यालय, टनकपुर जिला नैनीताल को वर्ष १९६२-६३ के लिये कितना महंगाई भत्ता अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया गया और उसका वितरण विद्यालय के अध्यापकों में किया गया या नहीं यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह विद्यालय अनुदान सूची पर मार्च १९६३ में लाया गया और शासन द्वारा इस विद्यालय को १७०१ रु० अनुरक्षण अनुदान दिया गया जिसमें ५२५ रु० मंहगाई भत्ते का अनुदान भी सम्मिलित था।

विद्यालय के अध्यापकों को मंहगाई भत्ते का वितरण नहीं किया गया है।

स्वीकृत अनुपालन अनदान की धनराशि महा संख्यानक की आथारिटी वित्त वर्ष १९६२-६३ में प्राप्त न होने के कारण विद्यालय राजकोष से धन न निकाल सका। उपर्युक्त धनराशि १९६३-६४ में पुनः स्वीकृति कर दी गई। किन्तु विद्यालय ने जुलाई, १९६२ से अपने छात्रों से मंहगाई फीस नहीं वसूल की थी। और इस मद की मांग विभाग से की है। यह विषय अभी विचाराधीन है।

५--श्री होरीलाल यादव--

[२ रे शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

६-८--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[२ रे शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न १०-११ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

८--श्री कृष्णानन्दराय--

[१३ अगस्त, १९६५ के लिये स्थगित किया गया ।]

कालेज अध्यापकों को निर्वाह निधि

९--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कितनी धनराशि डी० ए० वी० कालेज, कानपुर, बरेली कालेज, बरेली के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के अध्यापकों की निर्वाह निधि में जमा थी और क्या यह धनराशि राजकीय प्रतिभूति में विनियुक्त है ? यदि हां, तो किस ब्याज की दर से ? यदि नहीं, तो किस प्रकार विनियुक्त है ?

१०--क्या यह सत्य है कि उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं ने उपरोक्त निधि को नियम विरुद्ध मनचाहे ढंग से, निजी व्यापार अथवा अन्य कार्यों में लगा रखा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

११--श्री जगन्नाथराव--

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कन्या प्राइमरी स्कूल, दहगवां की इमारत

१२--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह जिला बदायूं विकास खण्ड दहगवां में कन्या पाठशाला तथा प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण की योजना बनी थी वह पूर्ण हो गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

कन्या प्राइमरी स्कूल दहगवां के भवन निर्माण की कार्यवाही विकास क्षेत्र दहगवां द्वारा हो रही है ।

प्राइमरी पाठशाला देहगवां का भवन निर्मित हो चुका है ।

कतिपय विषय

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, कल एक महत्वपूर्ण विषय आप के सामने आया था और आपने आज्ञा दी थी कि सोच विचार कर दुबारा फिर से इस प्रश्न को उठाया जाय. . .

श्री अध्यक्ष--

काहे के बारे में ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं बतलाता हूं। जो रूलिंग जनहित के बारे में दी है उसके लिये मैं काफी मसाला ले आया हूं। मैं थोड़े से समय में ही निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

इसका नियम यह है कि आप लिख कर भेज दीजिये ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं। सदन का समय इसके लिये नहीं दिया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक रूलिंग कल बिहार लेजिस्लेटिव असेम्बली में हुई है और आप देखें कि वहां कितना स्तर ऊपर उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप उसे भी दे दीजियेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं दे दूंगा लेकिन मैं तर्क भी उपस्थित करना चाहता हूं, वह नहीं आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुश्किल यह है कि आप नियम के अन्दर आयें। नियम ३०० में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है जबकि वह प्रश्न सदन के सामने आये। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने कल रूलिंग दी, अपने विचार प्रकट किये आप के सामने, उस संबंध में मैं पुनः विचार करूं। उसके लिये दो तरीके हैं। या तो आप मेरे कक्ष में आकर बात चीत कर लें या नियम ३०१ में हमें लिख कर दें ताकि उस विषय को ३०१ के अन्तर्गत सदन में उठाया जा सके। इस समय यह नहीं उठाया जा सकता। इसके लिये कोई तैयार नहीं है। यह ठीक है कि आप तो तैयार होंगे लेकिन इसे नियम ३०१ में उठा कर हमें लिख कर भेज दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी बात मानता हूं। वैसे कहता चला जाऊं तो निश्चय ही आप सुनेंगे लेकिन शान्तिपूर्वक कहूं तो कठिनाई पड़ेगी। इसलिये मैं लिख कर भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६३ में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३७५३-बी/३३-७९-आर-६२, दिनांक २० मई, १९६५ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, १९४८ में, वित्त विभाग की (क) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १७४/१०-९५४(२) ६२, दिनांक १८ मई, १९६५

†छापे नहीं गये।

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १६७१/१०-९०२ (६३) ५०, दिनांक २५ मई, १९६५; तथा

(ग) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २७४८/१०-९४८(१) ६४, दिनांक १ जून, १९६५, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट/१९४८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २२६३/१०-९५० (१) ६४, दिनांक १८ जून, १९६५ को, उक्त धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के संबंध में श्री सालिग्राम जयसवाल द्वारा स्पष्टीकरण की मांग

श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, कल मैं यहां सदन में हाजिर नहीं था, और मेरे संबंध में एक वक्तव्य माननीय गृह मंत्री जी ने कल दे दिया जिसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले उसे देख लूं, अगर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा। क्या कहा है, यह तो मैं पहले देख लूं।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं कभी बोलता नहीं हूं। लेकिन कल मेरे संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो कह दिया उसे मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मुझे ५ मिनट सुन लिया जाय।

कल मेरे संबंध में यह कहा गया कि मैंने हड़ताल के सिलसिले में वहां के सिनेमा के मालिकों को एक पत्र लिखा जिसमें उनको धमकी दी कि अगर वे सिनेमा बंद नहीं करेंगे तो उसको जला दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई इसकी सफाई नहीं देना चाहता।

श्री अध्यक्ष—

क्या उन्होंने कहा है कि आपने इनको पत्र लिखा ?

अनेक सदस्य—

जी हां।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

जी हां। मैं इसको लांछन समझता हूं। मैं सफाई देने के लिये सदन का समय नहीं ले रहा हूं। मेरा ४०-४२ वर्ष का राजनैतिक जीवन रहा है। कभी किसी ने ऐसा आक्षेप मेरे ऊपर नहीं लगाया है। बहुत से माननीय सदस्य जो उस तरफ और इस तरफ बैठे हैं, जानते हैं

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

कि मैंने कभी भी मंसा, वाचा और कर्मणा से राजनीतिक जीवन में हिंसा या हिंसात्मक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया। माननीय हरगोविन्द सिंह जी के मुंह से यह बात निकली, इसलिये मुझे और भी परेशानी हुई क्योंकि वे और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से ३०-४० वर्षों से जानते हैं और राजनीतिक हैसियत भी सब जानते हैं। मेरी अनुपस्थिति में इस तरह का आक्षेप मेरे ऊपर लगाना शोभनीय नहीं था। मैं चाहूंगा कि इस समय माननीय गृह मंत्री जी यहां सदन में खड़े होकर इस बात के लिये क्षमा मांगे और कहें कि उन्होंने यह बात गलत कही थी, और अगर यह नहीं करते तो उनको बाहर निकल कर यह बात कहनी चाहिये, बाहर कहें तो.....

श्री अध्यक्ष--

सालिग्राम जी, हम सब आपका आदर करते है, जो कुछ कहा गया हैं उसके बारे में आप स्पष्टीकरण दे दें कि यह सही है या सही नहीं है।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

श्रीमन्, यह पहला सवाल नहीं है, इसके पहले भी कोतवाली में जब एक हत्या हुई थी तो उसके संबंध में भी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने यह आक्षेप लगाया था.....

श्री अध्यक्ष--

आपने कल की कार्यवाही पढ़ी है? मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

"मेरे पास यह सूचना है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सिनेमा वालों को लिखा कि यदि आप सिनेमा बन्द नहीं करोगे तो उसमें आग लगा दी जायगी।"

इसके ऊपर माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने प्रश्न किया तो माननीय हरगोविन्दसिंह ने यह कहा--"श्रीमन्, अगर धृष्टता माफ हो, अंग्रेजी में चिट्ठी है उसको पढ़ कर सुना दूं।

When Cinema proprietors expressed their difficulty, Sarvasri Saligram Jaiswal, Dharmvir and their two companions are said to have threatened them that in case they were not prepared to close down their shows, all the cinema houses in the city which would be found running would be set on fire".

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मुझे इजाजत दें, मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। यह बिलकुल गलत है, वे बोल लेंगे, फिर आप बोल लीजियेगा। माननीय जैसवाल जी, इस सम्बन्ध में जो आप कहना चाहते है, कह सकते हैं।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

श्रीमन्, मैं किसी कानून की आड़ में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि अपना वक्तव्य देने के पहले माननीय मंत्री जी मुझसे पूछ लिये होते, या समझ लिये होते और फिर वक्तव्य देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब इलाहाबाद कोतवाली में इस प्रकार का वाकया हुआ तो माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यह आरोप लगाया था कि छुन्नन गुरु के छोटे भाई ने सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों को लेकर कोतवाली पर हमला किया। इसकी जांच हुई और श्री जे० डी० शुक्ला ने जांच की रिपोर्ट दी। इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को बदनाम करने की यह बात है।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि आप वक्तव्य के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें, उस पर बहस न करें।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

स्पष्टीकरण मैं क्या दूं ? माननीय हरगोविन्दसिंह स्वयं अपने दिल में इसको महसूस करेंगे। इसके सिलसिले में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी से) इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--

श्रीमन्, वक्तव्य के सिलसिले में यह बात नहीं कही गयी थी। मेरे वक्तव्य के बाद मोहिले जी ने बड़ा भारी अपना एक वक्तव्य दिया। उसके बाद किसी ने यह सवाल पूछा कि पुलिस वाले सिनेमा हाउस में क्यों गये थे ? उसके जबाव में मैंने यह कहा कि सिनेमा हाउसेज के प्रोप्राइटर्स ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह खत लिखा था कि ये हमारे पास आये और उन्होंने यह बात कही-- जिसका कि उद्धरण है। मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी है। मेरा मतलब यही था कि सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरों ने सिनेमा मालिकों को खत लिखा... (व्यवधान) सारी गल्ती तो इसी में हो जाती है कि आप लोगों में इतना संयम नहीं है कि दूसरे की बात को सुनें। (व्यवधान) अगर संयम हो जाता तो गल्ती का मौका नहीं आता। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री हरगोविन्द सिंह--

जब मैं जबाब दे रहा था....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप कृपा करके बैठ जायं। (व्यवधान)

(कुछ देर पश्चात्)

श्री हरगोविन्दसिंह--

मेरा मतलब यह कभी भी नहीं था कि मैं माननीय जैसवाल जी के ऊपर किसी तरह का लांछन लगाऊं। यदि हमारे माननीय सदस्य को यह भ्रम हो गया है कि मैंने यह कहा तो मैं उसके लिये माफी मांगता हूं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मेरे पास लिखा था उसको मैंने पढ़ कर सुनाया और उसके बाद अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि सिनेमा प्रोप्राइटर्स ने उनको यह लिखा था और उसमें माननीय जैसवाल जी का नाम अवश्य था। वह अभी भी मेरे पास है, यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, आप अपनी कार्यवाही जरा ठीक कर लीजियेगा।

याचिका समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला, इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४-६५) का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं इस सम्बन्ध में एक जानकारी चाहता हूं। याचिका समिति की कई रिपोर्टें इस सदन के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं। लेकिन यह नहीं पता चला कि उन याचिकाओं पर नतीजा क्या निकला? एक याचिका हमारी तरफ से भी बरहज की नगरपालिका के सम्बन्ध में भूमि भवन कर से सम्बन्धित दी गई थी और जनसंघ के लोग तो इसमें सिद्धहस्त हैं ही, मगर सरकार ने उन याचिकाओं पर कुछ किया या नहीं, कुछ पता नहीं है। आखिर इन याचिका समिति की बैठकों में क्या हो रहा है? या तो, उस समिति के अध्यक्ष महोदय जो विराजमान हैं वह बतायें.....

श्री होतीलाल अग्रवाल--

अगर माननीय सदस्य ने याचिकाओं की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा तो इसमें किसी का क्या दोष है?

श्री उग्रसेन--

हमने उसको पढ़ा है। उसमें कुछ है नहीं। सब भूसा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, जिस तरह से आप आदर के पात्र हैं हम लोगों के, उसी तरह से याचिका समिति के सदस्य लोग भी हैं। तो यह कहना कि उसमें भूसा है, इसको आप वापस ले लीजिए, इस प्रकार से कहना उनका अपमान है।

श्री उग्रसेन--

मेरा अपमान करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसी में प्रसन्न हैं तो मैं वापस लेता हूं।

प्रदेश में रासायनिक खाद के अभाव तथा वितरण में अव्यवस्था के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने रामकिशोर जी त्रिपाठी की सूचना को स्वीकार किया है। एक विनम्र प्रार्थना इस आदरणीय सदन के सदस्यों से है.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारा कामरोको प्रस्ताव है, वह नियम ५२ से पहले लिया जाना चाहिए और विशेषाधिकार का भी है...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिए।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

आपने दफा ५२ ले लिया। विशेषाधिकार का प्रश्न इससे पहले लिया जाना चाहिए था जो कि माननीय काशीनाथ जी ने और मैंने स्वयं गृहमंत्री जी के विरुद्ध दिया है। आपने उस पर विचार नहीं किया और न मुझे ही वक्तव्य देने के लिए इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। यह आप पूंछ सकते थे बाद में। मैं बतला देता। मैं इसको समाप्त कर लूं तो पूंछ लीजिएगा।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, प्राथमिकता की बात है।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि आपने विशेषाधिकार का प्रश्न उस समय दिया जब घंटी बज रही थी और मैं आ रहा था। आपने स्वयं देखा, आप मौजूद थे, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया। फिर नियम ६४ में यह है कि अगर किसी सदन के सदस्य के विरुद्ध कोई प्रश्न उठाया जाय विशेषाधिकार का, तो उस माननीय सदस्य से पूंछना चाहिए।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैंने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आपने दे दिया, लेकिन नियम उसमें यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष पूछेगा। तो मुझको भी तो मौका दीजिए।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

काशीनाथ जी का कामरोको प्रस्ताव ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी तो संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहते हैं।

तो एक निवेदन मैं यह कर रहा था कि जो सूचनायें हों वह जरा स्पष्ट और साफ लिखी हों तो हम लोगों को सुविधा होती है पढ़ने में। अब उनकी सूचना इस प्रकार है।

"उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद के अभाव तथा वितरण में अव्यवस्था से सारे प्रदेश में कृषकों में बेचैनी का वातावरण व्याप्त हो रहा है। अभाव का मुख्य कारण यह है कि प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से लोन पर खाद मिलती रही है किन्तु प्रदेशीय सरकार के केन तथा कोआपरेटिव विभाग पर ८ करोड़ रुपया तथा कृषि विभाग पर लगभग १ करोड़ रु० खाद के ऋण का बकाया है जिसकी अदायगी न हो पाने की वजह से केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त मात्रा में प्रदेश के लिए लोन पर खाद देना बन्द कर दिया है।

इस त्रैमासिक कोटे में देश को लगभग १ लाख ४ हजार टन खाद मिली है जिसका सही ढंग से वितरण न हो पाने से भी कहीं-कहीं हजारों टन खाद पड़ी है और कहीं मिलना मुश्किल है।" इत्यादि।

बहुत सी बातें हैं। इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दस तारीख को आपने वक्तव्य के लिये समय दे रखा है, यदि आप उचित समझें तो ११ तारीख को वक्तव्य दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। तो ११ को वक्तव्य हो जायगा।

अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब जो यह सूचनायें आई हैं, इस सम्बन्ध में मैं अध्ययन कर रहा हूं, गौर कर रहा हूं और आशा है कि कल.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

देवरिया के....

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें।

लखपतराम जी आपने जो सूचना भेजी है, मैंने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। आपका आज ही मिला है, इस सम्बन्ध में मुझे विचार करना है और परसों मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

देवरिया के ६ हजार हलवाइयों को कई मास से चीनी का कोटा नहीं मिला है, जून का जुलाई का और आज अगस्त भी चल रहा है उनको कोटा नहीं मिला है उनके जीवन मरण का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें, मैं समाप्त कर लूं तब आप बोलें।

नियम यह है कि नियम ५२ में एक सूचना स्वीकार होने के बाद दूसरी सूचना नहीं ली जा सकती...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हमारा भी एक है...

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें। अभी आपके प्रस्ताव के बारे में कहूंगा। पहले सुन तो लें कि क्या कार्यवाही हो रही है, मैं तो सुविधा दे रहा हूं, सब सूचनाओं को ही भेज रहा हूं। जहां तक उग्रसेन जी की सूचना का प्रश्न है उसको तो मैंने मंत्री जी के पास पहले ही भेज दिया है। वह चपरासियों के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे तो इस पर भी दे देंगे।

श्री उग्रसेन--

तो वह सचिवालय के चपरासियों के साथ ही वक्तव्य देंगे? आपने कहा नहीं था...

श्री अध्यक्ष--

आप से निवेदन है कि मैं गलती करूं तो आप तो गलती न करें, कृपा करके देख लिया करें। मैं तो हर सूचना पर निदेश लिख देता हूं, आप उसको देखने का कष्ट करें।

श्री उग्रसेन--

मित्तल साहब हमको दिखलाते ही नहीं हैं, मुश्किल हमारी यह है।

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना श्री श्रीराम और हिम्मतसिंह जी की है और श्री जगन्नाथराव की, यह सब मंत्री महोदय के पास भेज रहा हूं। इसको यह लोग कृपा करके देख लें।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, गोंडा में लेखपालों से लगान की वसूली कराई जा रही है और रुपया गबन हो रहा है....

श्री चन्द्रबलीसिंह--

देवरिया जिले में ६ हजार हलवाइयों को कई मास से चीनी का कोटा नहीं मिला है...

श्री अध्यक्ष--

यह सब तो दस को जो बहस हो रही है उसमें आ जायगा, वह विषय आ सकता है। अब यह समाप्त।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५३ के अन्तर्गत दिया था. . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, ५३ के विषय में कोई बात नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न दिया था. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

उसको मैं देखूंगा, बाकी कार्यवृत्त के सम्बन्ध में जो संशोधन भेजा है, उसके अनुसार हो जायगा, आप जाना चाहते थे, जा सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह मैंने कहा कि मैं देखूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अभी आपने उसे देखा नहीं है क्या ? मैंने साढ़े दस बजे दे दिया था, आप मुनासिब समझें तो उसे पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन किया कि व्यवस्था का प्रश्न तत्काल सदन में उठाया जा सकता है। मगर तत्काल न उठाया जाय तो नियम ३०१ के अन्तर्गत किया जा सकता है वह सदन के सामने आयेगा और वक्तव्य हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मुझे निवेदन तो करने दें।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

कल भी मेरा व्यवस्था का प्रश्न था और आज फिर मैंने व्यवस्था के प्रश्न को लिखकर आधे घंटे पहले दे दिया था ताकि आप उस पर मनन कर सकें और कोई आज्ञा दे सक। पर फिर भी कुछ नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

अब हो चुका है । व्यवस्था का प्रश्न तत्काल उठाया जा सकता है । जो व्यवस्था मैंने दे दी है उसके सम्बन्ध में अगर कोई प्रश्न करना है तो नियम ३०१ के अन्तर्गत दे सकते हैं या आप मुझसे मेरे कक्ष में बातें कर सकते हैं । जहां तक आपके आधा घंटे पहले देने का सवाल है मेरा निवेदन है कि १० से ११ बजे तक विभिन्न सूचनायें आती हैं, उन सब को देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और उसके उपरान्त आदेश देने पड़ते हैं । अतः इतना समय नहीं रहता है कि मैं और कोई चीज देख सकूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपने जो निर्णय दिया उसके सम्बन्ध में आपको स्मरण दिलाऊं। पिछले वर्ष जब यहां पर इसी हाउस में बड़ा भारी आन्दोलन हुआ था और इधर और उधर बैठने वालों में एक फैसला लिया था उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कहा गया था कि हाउस में कोई माननीय सदस्य अगर व्यवस्था का सवाल उठायेंगें तो उसको सुनने के बाद ही आगे की कार्यवाही करेंगे । कल भी और रोजमर्रा भी यह प्रथा चलायी जा रही है कि जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप उसको बैठा देते हैं । अगर यही परम्परा रही तो फिर वही नौबत न आ जाय जो पहले आ गयी थी ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी प्रबल इच्छा होते हुये भी कि जो व्यवस्था के प्रश्न उठाये जायं, मैं उनको शांतिपूर्ण सुनूं, लेकिन देखा यह जाता है कि वे व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जो व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं । जानकारी, सुझाव या सब बातें आ जाती हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय सदस्य अगर व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो कृपा करके उस नियम का भी हवाला दे दें जिसके अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है ताकि उसके ऊपर नियंत्रण हो जाय । यह जरूरी नहीं है कि अगर आप नियमों का हवाला नहीं देंगे तो मैं सुनूंगा नहीं । लेकिन अगर आप उसका ध्यान रखें तो कदाचित् नियमों के अन्दर ही व्यवस्था के प्रश्न उठा सकेंगे ।

श्री राज्यपाल को हटाने के संबंध में श्री काशीनाथ मिश्र का संवैधानिक प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय काशीनाथ जी ने २ संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं । परसों आदरणीय काशीनाथ जी मेरे कक्ष में आये थे और इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत हुयी थी । उन्होंने मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि जो उन्होंने संवैधानिक प्रश्न उपस्थित किये हैं वे नियमित हैं । उन्होंने जो बातें कहीं हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा ऐसा खयाल है कि माननीय काशीनाथ जी प्रारम्भतः जिसे अंग्रेजी में "एव इनोशियों," कहते ह गलत है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप हमें इस बात पर संतोष दिलायें कि जो प्रश्न आप रख रहे हैं वह इस सदन में क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं । आपने अपनी दिनांक २ अगस्त की सूचना में यह लिखा है कि "यह सदन श्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाय । क्योंकि श्री चतुर्भुज शर्मा वाले मामले में उनका कार्य राष्ट्रीयता और संविधान के परे है ।

अब यह प्रश्न है कि नियम २८९ को ध्यान में रखते हुये क्या यह संभव है कि यह सदन इस पर विचार करे । नियम २८९ इस प्रकार है....

"२८९ (च)—राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा ।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

बिलकुल नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर खड़े हो गये । पहले मुझे अपना निवेदन तो कर लेने दीजिये । आप मेरा प्रश्न ही नहीं सुनना चाहते ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

पूरा पैरा आप पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

पूरा पैरा पढ़ देता अगर उसमें ऐसी बातें न होतीं जो इस सदन में नहीं होनी चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

राज्यपाल को छोड़ कर और पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

२—८—६५ का जो संवैधानिक प्रस्ताव है उस पर बात कर रहा हूं । क्या माननीय काशीनाथ जी कहते हैं कि वे २—८—६५ के प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहते ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपका ध्यान संकलन १९५२—६२ के निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—

"श्री राज्यपाल के कार्यों की टीका करना नियम विरुद्ध है और वह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता ।

१२ मार्च, १९५६ को श्री रामनारायण त्रिपाठी श्री राज्यपाल के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं । उस सम्बन्ध में यह है ।

"तारीख ७ मार्च' का माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुदान संख्या १२ के संबंध में विवाद पर उत्तर देते समय मेरा ध्यान श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के उसी दिन के भाषण के उस भाग की ओर आकृष्ट किया, जिसमें उन्होंने सड़क की एक घटना के सिलसिले में महामान्य राज्यपाल के सम्बन्ध में भर्त्सनापूर्वक टीका टिप्पणी की थी और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मैं उन वाक्यों को सदन की कार्यवाही से निकाल दूं, क्योंकि प्रक्रिया नियमावली के नियम १८२(५) के अनुसार श्री राज्यपाल के कार्यों पर टीका टिप्पणी करना निषिद्ध है ।

प्रक्रिया नियमावली जिसे इस सदन ने स्वीकार किया है उसका नियम १८२ भाषणों के तथा प्रश्नोत्तरों के औचित्य की सीमा निर्धारित करता है । उसके उपखंड (५) तथा (६) के पढ़ने से स्पष्ट है कि भाषणों में कोई टीका श्री राज्यपाल के कार्यों की सदन में नहीं की जा सकती यदि वह ठीक उनके व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत कार्यों के लिये समझी जाय, तो वह अधिक आक्षेपार्ह होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सदन में, प्रतिवाद करने के लिये उपस्थित नहीं है, उसके विरुद्ध उसे बदनाम करने वाले वाक्य कहना भी निषिद्ध है ।

[श्री अध्यक्ष]

इस संबंध में कुछ नियम तथा प्रथायें जो अन्य पार्लियामेंटरी संस्थाओं में अमल में लायी जाती हैं उनका मैं जिक्र करता हूं--

"इर्सकिन ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ ४३५ से ४३७ में यह कहा है कि बादशाह का नाम अनादरपूर्वक सदन में नहीं लिया जा सकता और उनके प्रतिनिधि का नहीं लिया जा सकता और उनके प्रतिनिधि के कार्य पर कोई छींटाकशी नहीं की जा सकती है"।

यह सर्वविदित है कि श्री राज्यपाल भारतीय रिपब्लिक के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के नाते उसी प्रकार का स्थान रखते हैं और इस प्रदेश के प्रधान हैं और इस कारण अनादरपूर्वक उनके काम का जिक्र करना या उनके कार्य पर आलोचना करना भाषणों के नियमानुसार निषिद्ध किया गया है ।

इस संबंध का एक निर्णय सन् १९४३ में बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने भी दिया था जो इस प्रकार है--

"श्री राज्यपाल के वैयक्तिक कार्य पर प्रदेश के प्रधान के पद से उनका व्यक्तित्व पृथक करके भी विवाद नहीं किया जा सकता"।

इस प्रकार थोड़े ही समय पूर्व लोक सभा के उपाध्यक्ष, ने जो निर्णय दिया और जिसकी सूचना माननीय राजनारायण जी ने मुझे दी वह भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है । उसका एक उद्धरण मैं आदरणीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं, जो अंग्रेजी में है । वह इस प्रकार है :

"Mr. Deputy Speaker—Order, order. There is no good in misunderstanding this matter. My ruling was only this. Any reflections on a high dignitary of a State ought not to be allowed on the floor of the House, especially when there are the State Legislative Assemblies ; just as we do not make any reflections on the President here, likewise, we ought not to make reflections on the conduct of high dignitaries of States. If an Hon. Member says the Governor went there, others went there, it is all right, but to say he went in this manner and that manner, does not conduce to a proper discussion here. And since it is a serious reflection on the Governor who is not before us, the Hon. Member can avoid all this".

श्री रामनारायण त्रिपाठी जी की टीका टिप्पणी पर उक्त नियम तथा प्रथाओं की दृष्टि से दृष्टिपात करने से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके भाषण में जो टीका की गयी है वह नियमों का उल्लंघन करती है और इस प्रकार की टीका करने से उन्हें रोका जा सकता था यदि अध्यक्ष का ध्यान उसी समय आकृष्ट किया जाता । परन्तु वह अवसर बीत गया और मेरा ध्यान उसी दिन की शाम को बाद में मुख्य मंत्री जी ने आकृष्ट किया और तब उक्त भाषण के आक्षेप के भाग को कार्यवाही से निकालने का ही प्रश्न मेरे सामने निर्णय के लिये है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, अब हम आपकी भावना समझ गये ।

श्री अध्यक्ष--

इसे और सुन लीजिये । अब जो मैं पढ़ूंगा वह बिलकुल वही बात है जो आप उठ रहे हैं कि उन्होंने संविधान के विरुद्ध कार्य किया । इसके बारे में जो रूलिंग है शायद वह आपको मदद करे । वह इस प्रकार है--

"६ फरवरी, १९६१, को राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त करने के संबंध में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर, व्यवस्था देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा था--

अगर राज्यपाल ने आर्डर दे दिया है एक सचिव की सलाह मान कर और मुख्य मंत्री से नहीं पूछा और यह मान भी लिया जाय कि उन्होंने संविधान के विरुद्ध कार्य किया, तो भी विशेषाधिकार

की चाराजोई सदन में नहीं हो सकती बल्कि श्री राज्यपाल के कार्य के बारे में शिकायत राष्ट्रपति के पास जानी चाहिये ।"

ऐसे निर्णय इसमें और भी हैं । आपने जो २ अगस्त, १९६५ को प्रस्ताव भेजा है प्राग्दर्शन में वह 'एब इनीशियो' तथा नियमों के विरुद्ध है । इस नाते उस पर, किस प्रकार से इस सदन में विचार किया जा सकता है, यह आप बता दें । आप सिर्फ इतने ही हिस्से पर बोलें कि यह सदन राज्यपाल को हटाने की सिफारिश करे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

अभी अध्यक्ष महोदय, जितनी व्यवस्थायें अध्यक्षों की आपने पढ़ीं उनके विषय में मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने ग्रन्थ लिखे गये हैं वही मानव ज्ञान का अन्त नहीं है । जो भी व्यवस्था माननीय रामनारायण त्रिपाठी और खेर साहब की आपने दी वह संविधान के बाहर की हैं । गवर्नर संविधान के परे नहीं है । मैं समझता हूं भारत का संविधान प्रधान है और हमारे राज्यपाल उसके मातहत हैं । यही भावना हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में थी उनकी यही भावना थी कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और राष्ट्रपति और राज्यपाल सब उसके मातहत हैं । मैं आपको ध्यान ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन की धारा १३७ की तरफ ले जाना चाहता हूं "ह्वेन गवर्नर इज टु बी इम्पीच्ड फार वायलेशन आफ दि कांस्टीट्यूशन, चार्ज शैल बी प्रीपेयर्ड बाई दी लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ दी स्टेट ।" संविधान के निर्माताओं के दिमाग में था कि राज्यपाल का इमपीचमेंट होगा । लेकिन बाद में जब डिस्कशन चला तो डाक्टर अम्बेदकर ने कहा कि १५५ धारा के मातहत हम यह अधिकार राष्ट्रपति को दे रहे हैं कि वह राज्यपाल की नियुक्ति करे और जब चाहे उसे हटा सकता है । तो जब कांस्टीट्यूशन का वायलेशन होगा हम उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । आपने क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा, मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और जहां संविधान के खिलाफ कार्यवाही होगी तो मेम्बर आफ दी लेजिस्लेचर की हैसियत से हमारा कर्त्तव्य है कि आपका ध्यान आकर्षित करें । धारा १५४ (२) का उल्लंघन राज्यपाल ने किया । उस धारा के अधीन राज्यपाल के अधिकार सीमित हैं ।

श्री अध्यक्ष---

गुण दोष पर विचार नहीं है, सवाल यह है कि अगर आपकी यह बहस मान लें कि राज्यपाल महोदय ने संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध कार्य किया है या उसका अतिक्रमण किया है तो क्या यह सदन राष्ट्रपति के विचारार्थ यह सिफारिश कर सकता है कि इनको हटाया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

कर सकता है । मैं आपसे पूछता हूं कि आप ही अगर इस राय पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल गवर्नमेंन्ट हाउस, लखनऊ में बैठे-बैठे संविधान को अतिक्रमण कर रहे हैं तो आपके पास क्या रेमिडी है ? मैं समझता हूं कि राज्यपाल संविधान की अवहेलना कर रहे हैं । तो हमारा यह बड़ा और पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि इस सदन के अन्दर आपका और सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करें, संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिये जिसकी कसम खा करके मैं और सब सदस्य यहां बैठते हैं । हमारा प्रथम कर्त्तव्य है कि संविधान की रक्षा और हिफाजत हर कीमत पर करें ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें हमारा और आपका मतभेद नहीं है । संविधान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करना किसी के अधिकार में नहीं है, यह तो सर्व-सम्मत बात है । अब प्रश्न यह सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ी देर के लिये हम मान लें कि राज्यपाल ने अतिक्रमण किया तो किस प्रकार से आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

कह सकते हैं कि यह रूलिंग जो मैंने आपके सामने रखीं, जो खेर साहब ने दी है, कि अगर संविधान का अतिक्रमण भी हो तो यह सदन विचार नहीं कर सकता । केवल एक मात्र तरीका यह है कि इस बात की शिकायत राष्ट्रपति से की जा सकती है, सदन नहीं विचार कर सकता है । इस पर आप कहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

राष्ट्रपति जी से कहने का तो व्यक्तिगत अधिकार है । हमारी दो हैसियत हैं, एक तो मेम्बर के नाते और दूसरे भारत के नागरिक के नाते । इस सदन में हम बैठते हैं संविधान की कसम खा कर और जब संविधान टूटता है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम प्रश्न उठायें और आप विचार करें। यह कहीं नहीं संविधान में लिखा है कि राज्यपाल अगर संविधान को तोड़ेगा तो उसकी चर्चा नहीं होगी बल्कि यह लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान को तोड़ेगा तो पार्लियामेंट उसका इम्पीचमेंट करेगी और राष्ट्रपति की जो मर्यादा पार्लियामेंट से सम्बन्धित संविधान में है वही हमारे राज्यपाल की स्टेट लेजिस्लेचर के साथ है । तो संविधान के बनाने वालों की यह मंशा थी कि राज्यपाल संविधान को मर्यादित करेगा तो हम इम्पीचमेंट करेंगे बल्कि राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि आप इन्हें हटाइये क्योंकि आप इनकी नियुक्ति के अधिकारी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने संविधान की धारा १५४ (२) तथा धारा १३७ का हवाला दिया । इनके अलावा अब आप और किसी अनुच्छेद का हवाला देना चाहते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं १६६ और १७० (सी) का हवाला देना चाहता हूं । १६६ के अन्तर्गत राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि सारे प्रदेश में उनका मंत्रिमंडल नेकनामी के साथ, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ शासन करे ।

श्री अध्यक्ष--

संविधान के अनुच्छेद १६६ और १७० (सी) को आप पढ़ कर देखें । उससे यह बात नहीं निकलती है, उनसे कोई मतलब नहीं निकलता है ।

(कुछ रुक कर)

आप और स्टडी कर लीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने स्टडी कर लिया है.....

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ मिश्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस आदरणीय सदन में उठाया है कि क्या यह सदन माननीय राज्यपाल की बरखास्तगी की सिफारिश कर सकता है ? आप आदेश दें और माननीय कन्हैयालाल मिश्र को यहां बुलायें और उनका भाषण करायें । मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आपका और माननीय सदन का इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया ।

विविध जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल सैक्शन ५३ का एक प्रस्ताव भेजा था विवाद के लिये लेकिन आप ने कोई निर्णय नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष--

एक तो कल स्वीकृत हुआ था । इसे मैं देखूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, कल माननीय अधिष्ठाता महोदय के समक्ष इलाहाबाद कांड चल रहा था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना था कि मैंने दफा ५३ में कल एक सूचना दी थी. . . . .

श्री अध्यक्ष--

नियम ५३ में जो सूचनायें आती हैं उनके संबंध में नियम यह है कि वे कार्यालय में जाती हैं और रिपोर्ट हमारे पास आती है । अगर स्वीकार करने में मुझे कोई कठिनाई होगी तो मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

श्रीमन्, यह इसलिये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहस करने लगे । मैं कह रहा हूं कि मैं देख लूंगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

श्रीमन्, इसमें विलम्ब होगा ।

श्री अध्यक्ष--

विलम्ब क्या होगा । कल आपने दिया और आज बात कर रहे हैं ।

आजमगढ़ जिले के एक ग्राम में हिन्दू साधु के जिन्दा जलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

श्रीमन्, प्राप्त सूचना के अनुसार रामनाथ यादव, निवासी ग्राम आंवक ने थाना गम्भीरपुर में १२-७-६५ को इस आशय की एक रिपोर्ट लिखाई कि जब वे अपनी मड़इया बना रहे थे तो फिराक, इखलाक और अयूब, निवासी ग्राम आंवक ने एतराज किया कि मड़इया की भूमि उनके महाल की जमीन में पड़ती है, इसलिये वे इसको नहीं बनवाने देंगे । रामनाथ ने अपने कारीगरों और मजदूरों को वापस कर दिया और अपने घर चला आया । थोड़ी देर में फिराक, इखलाक व अयूब उर्फ हिटलर कुछ लड़कों के साथ आये और मड़इया को गिरा दिया । कुछ लोगों ने मड़इया को सीधा करने का प्रयत्न किया । इतने में गयासुद्दीन इत्यादि ६ व्यक्तियों ने आकर मड़इया में आग लगा दी। इसी बीच बाबा रूखड़दास, साधू गोपालदास और जगपत वहां पहुंच गये। बाबा रूखड़दास ने आग बुझाने का प्रयत्न किया परन्तु इखलाक और वहीद ने उन पर भाले से हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया । बाबा रूखड़दास ने भी अपने बचाव में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया और जगपत ने भाले से अपना बचाव किया । जब बाबा रूखड़दास गिर गये तो इखलाक और वहीद ने उन्हें जलती हुई मड़इया पर फेंक दिया ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

इस सूचना पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०२/४३६/२०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ और स्थानीय पुलिस तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंची, परन्तु तब तक बाबा रूखड़दास की मृत्यु हो चुकी थी। उसके शव को जलती हुई मड़इया में से निकाला गया और पंचायतनामा तैयार किया गया।

१२/१३ जुलाई, १९६५ की रात्रि में उपरोक्त मुकदमें के एक अभियुक्त इखलाक ने भी इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि रामनाथ और उसके आदमियों ने उनकी मड़इया जला दी और उन पर हमला किया जिससे उन्हें चोटें आई। इस रिपोर्ट पर भी एक मुकदमा कोतवाली में रजिस्टर होकर थाना गम्भीरपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया।

सूचना मिलते ही पुलिस के सर्किल अफसर और हाकिम परगना मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक और जिला मैजिस्ट्रेट भी मौके पर गये।

जो मुकदमा रामनाथ की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था उसमें दो अभियुक्तों को जो अस्पताल में भरती हो गये थे, गिरफ्तार किया गया और दूसरों के विरुद्ध भी धारा ८७/८८ की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप ३ और अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। एक अभियुक्त अभी तक फरार है और उसके पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ३५ आदमियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ की कार्यवाही की गयी है। इनमें से १५ आदमी २८-७-६५ को गिरफ्तार किये गये और १ आदमी ३१-७-६५ को पकड़ा गया। भागे हुए व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। १-८-६५ को ही जिला मैजिस्ट्रेट ने ६ व्यक्तियों के आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये।

इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस पी० ए०सी० का पूरा प्रबन्ध किया गया है और एक मैजिस्ट्रेट भी आंवक में स्थित कर दिया गया है।

इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि साधू ने साम्प्रदायिक तत्वों की अराष्ट्रीय गतिविधियों की कोई सूचना पुलिस को दी हो।

जनता में किसी प्रकार का आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

जो सरकार का वक्तव्य है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं सरकार का केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह निर्मम हत्या हुई है, जमीन का झगड़ा अलग है। एक आदमी जो झगड़े में बीच बचाव करने गया, उसको जिन्दा उठा कर आग में फेंक दिया गया। यह निर्मम हत्या हुई। उसकी जो पृष्ठभूमि है, वह वक्तव्य में स्पष्ट नहीं है। रूखड़दास कुटी में रहते थे। उसके सामने तालाब है। वहां आये दिन झगड़े होते रहते थे, मछली मारने और चिड़ियों के शिकार में। इसमें पुलिस की ढिलाई हुई क्योंकि तनाव बहुत दिन से चल रहा था। रामदास ने १३-३-६४ को पुलिस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री अध्यक्ष--

ज्यादा डिटेल में मत जाइये। नियम तो यह है कि वक्तव्य के बाद कोई भाषण नहीं हो सकता और आप बोलने खड़े हो गये। संक्षेप में कह दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

उसने पुलिस को एक पत्र दिया था १९६४ में, जिसमें उसने सारी बातें कही थीं। पुलिस ने उस पर स्टेप्स लिये होते तो वह घटना नहीं होती। यह लापरवाही हुई है। इस घटना पर जो झगड़े हुए उनके संबंध में कांग्रेस प्रेसीडेंट के पास भी दरख्वास्त पड़ी। उसके उपाध्यक्ष शिवराम राय का भी पत्र है। वह पत्र मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपके कहने का मतलब यह है कि पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

और कुछ स्थानीय लोगों ने भी लापरवाही की और तनाव बढ़ने दिया । शस्त्रास्त्र की जो बात कही गयी है, बन्दूकों के लाइसेंस अब दिये गये हैं । १२,१२ लाइसेंस उस गांव में थे लेकिन उस गांव को घेर लिया गया और कोई गांव से बाहर नहीं जा सकता था । नौ बजे घटना हुई । थाने में सूचना १२ बजे पहुंचती है जबकि सड़क दो सौ गज पर है । उस दिन थाने में न सीनियर इंस्पेक्टर थे न जूनियर इंस्पेक्टर थे । केवल दीवान जी थे । शाम तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसमें पुलिस की लापरवाही है । जिन लोगों ने इस मामले को उठाया है चूंकि स्थानीय अधिकारी उसको दबाना चाहते थे, इसलिए उनको धमकाया जा रहा है कि डी०आई० आर० में चालान होगा । मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग स्थानीय शासकों के रोष के भाजन हुये हैं उन पर जबरदस्ती डी०आई० आर० नहीं होना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने कहा कि पंचनामा लिखा गया । ला यह है कि मर्डर का सस्पिशन होता है तो पंचनामा नहीं लिखा जाता है । एक बात आपने यह कही कि दफा १०७/१७ की कार्यवाही की जा रही है । इस पर मैं कह रहा हूं, यह सूचना आपकी गलत है । १०७ १/१७ के ३ केस खारिज हो गये । दूसरी बात यह है कि क्या आप यह बतायेंगे कि पोस्टमार्टम से यह निकला है कि जो उसकी डेथ हुयी है, उसका इमीडिएट काज स्पेयर नहीं बल्कि जलना था ?

(श्री हरगोविन्दसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यदि आप बताना चाहें तो बता दें ।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

रिपोर्ट में यह है कि रूखड़दास की मृत्यु जलने से भी हुई है । वह केसेज खारिज तो नहीं हुये थे । जो ३५ आदमी के खिलाफ वारंट थे, जिसमें १६ आदमी पकड़े गये थे । इस पर सेशन जज ने फैसला किया कि जो दफा ११४ के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हुई थी । फिर ए०डी०एम० ने गम्भीरपुर थाने के ४२ आदमियों को गिरफ्तारी का वारन्ट दिया और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

श्री अध्यक्ष—

मद नं० १२/स्वायत्त शासन मंत्री ।

(स्वायत्त शासन मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री उपस्थित नहीं हैं और न उपमंत्री ही हैं । मंत्रिमंडल द्वारा सदन का यह अपमान है । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह सदन का बड़ा अपमान है । मंत्री जी अभी-अभी थे, लेकिन थोड़ी ही देर पहले यहां से चले गये हैं । इस सदन के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आप सदन की कार्यवाही बन्द करा दें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यहां कोई अब बिजनेस नहीं है, सदन की कार्यवाही आप बन्द करा दें।

अनेक सदस्य—

यह सदन का अपमान है, आप सदन स्थगित करा दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

(श्री जयराम वर्मा के खड़े होने पर) यह बिलकुल नियमों के विरुद्ध है। मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और आप स्वयं खड़े हो गये। आपको इस विधेयक की कोई जानकारी नहीं है, आप क्यों खड़े हो गये?

श्री अध्यक्ष—

यह बड़े अफसोस की बात है।

अब स्वायत्त शासन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय। चूंकि मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और अब आगे कार्यवाही भी शेष नहीं है, इसलिये यह सदन १० अगस्त के ११ बजे तक के लिये स्थगित होता है।

(इसके बाद सदन १ बजकर २ मिनट पर मंगलवार, १० अगस्त, १९६५ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ अगस्त, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

प्रश्न संख्या १ के उत्तर में उल्लिखित सूची

प्राथमिक स्तर	प्राप्तियों में वृद्धि की धनराशि
	रु०
१—जूनियर बेसिक स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों सहित दीक्षित अध्यापक के	२०रु० मासिक
२—जूनियर बेसिक स्कूल्स के अदीक्षित अध्यापक ..	२१रु० मासिक
३—सहायता प्राप्त व स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले सीनियर बेसिक स्कूल्स के अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक	२० रु० मासिक
४—उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक विभागों में कार्य करने वाली मिडिल पास अदीक्षित अध्यापिकाओं को ६० रुपया मासिक वेतन मिलेगा	
माध्यमिक स्तर—	
अध्यापक एवं सभी श्रेणियों के कर्मचारीगण	२० ० मासिक
नोट—अभी इन्हें २० रु० मासिक महंगाई भत्ता मिल रहा है ।	
अराजकीय प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय—	
८५० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले अध्यापक, लिपिक एवं निम्न-वर्गीय कर्मचारी	४०रु० मासिक
स्नातकीय डिग्री स्तर—	
१—३५० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले अध्यापक सभी श्रेणियों के समस्त कर्मचारी	२० रु० मासिक
नोट—अभी इन्हें २० रु० मासिक महंगाई भत्ता मिल रहा है ।	
२—३५१ रु० से ८५० तक मासिक वेतन पाने वाले अध्यापक व सभी श्रेणी के समस्त कर्मचारी	४० रु० मासिक

इसके अतिरिक्त स्नातकीय स्तर के महाविद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित वेतन क्रम दिये जायेंगे—

अध्यापक की श्रेणी	संशोधित वेतन-क्रम
१—प्रोफेसर तथा हेड आफ डिपार्टमेंट ..	४००—२५—७०० रु०
२—असिस्टेंट प्रोफेसर ..	३००—२५—६०० रु०
३—लेक्चरर्स ..	२००—१५—३२०—२०—५०० रु०

प्रधानाचार्य का वेतन-क्रम ६५०—४०—८५०—८०रो०—५०—९०० रु० जो इससे पहले था, वही रहेगा ।

राज्य के विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक वर्ग के समस्त कर्मचारी	प्राप्तियों में वृद्धि की धनराशि
५० रु० तक ..	१०रु० मासिक
५१ रु० से १५० रु० तक ..	१५ रु० मासिक
१५१ रु० से ३०० ० तक ..	१७ रु० ५० पैसे० मासिक
३०१ रु० से ८५० रु० तक ..	४० रु० मासिक

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर)

सिफारिशों का सारांश

१—ऐसे पदों को, जिनका वेतन एक नियत दर से मिलता है, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है नियमित काल-मान (time-scale) पर रख दिया गया है ।

(अध्याय २, पैरा १५)

२—राज्य विद्युत परिषद, हर-कोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट तथा विभूत ग्लास फैक्ट्री, सीमट बेज बोर्ड निर्णय के द्वारा नियंत्रित राजकीय सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारिवर्ग, खजानों के रोकड़ कर्मचारिवर्ग, सतर्कता आयोग (विजिलेंस कमीशन) के कर्मचारिवर्ग, कार्य-प्रभारित कर्मचारिवर्ग (work charged establishment) तथा अंशकालिक कमचारियों की परिलब्धियों के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं की गई हैं ।

(अध्याय २, पैरा ११ से १७ तक)

३—अभिनवीकरण के लिये अपनाया गया व्यापक सिद्धांत वैसा ही रहा जैसा कि विचारार्थ विषय में दिया गया है अर्थात् "एक समान कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिये यथासंभव एक समान परिलब्धियां सुनिश्चित करना ।"

(अध्याय ४, पैरा १)

४—आधारभूत मजदूरी निर्धारित करने में २।। यूनिटों के परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं का विचार किया गया है ।

(अध्याय ४, पैरा २३)

५—महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें, जो नये वेतन मानों के साथ प्राप्त होंगी, इस प्रकार होंगी:—

९९ रु० तक वेतन पर	१५ रु०
१०० रु० से २९९ ० के बीच के वेतन पर	२५ रु०
३०० ० से १,००० रु० के बीच के वेतन पर	३५ ०
१,००१ रु० से १,०३४ रु० के बीच के वेतन पर	उतनी धनराशि जो कि १,०३५ रु० के वेतन तक पहुंचने के लिये कम पड़े ।

(अध्यापक ४, पैरा ११)

६—सेवाओं के वर्गीकरण का सामान्य प्रतिरूप इस प्रकार होना चाहिये:—

राजपत्रित (गजटेड)	जहां पद के वेतनमान की अधिकतम धनराशि ९००रु० से अधिक हो	वर्ग १
राजपत्रित	जहां पद के वेतनमान की अधिकतम धनराशि ९०० रु० से अधिक न हो ।	वर्ग २
अपत्रित (नान-गजटेड)	जहां पद के वेतनमान की न्यूनतम धनराशि १०० रु० या इससे अधिक हो	वर्ग ३
अपत्रित	शेष	वर्ग ४

किन्तु अध्यापक तथा सवेतन अप्रेंटिस तृतीय वर्ग में रहेंगे ।

(अध्याय ६, परा ५ और ६)

७—फंडामेंटल रूल ९(२५) के अधीन विशेष वेतन सभी रोकड़ियों तथा कोषाध्यक्षों के सिफारिश किये गये वेतनमानों के अनुसार दिया जाना चाहिये ।

(अध्याय ९, पैरा १५)

८—स्टोर-कीपरों को जिनके लिये १००–१८० रु० के वेतनमान की सिफारिश की गयी है, विशेष वेतन भी मिलना चाहिये जैसा कि सिफारिश की गयी है ।

(अध्याय ९, पैरा १६)

९—३४३ वेतनमानों की जगह पर ५२ वेतन मानों की सिफारिश की गयी है ।

(अध्याय ११, पैरा १)

१०—सभी काल मानों (time-scales) में पांच-पांच साल के अन्तर से दक्षतारोक रखे जायं । किसी कर्मचारी को दक्षतारोक पार करने के अनुमति देने के प्रयोजन के लिये दक्षता की जांच करने हेतु जो मानक(स्टैण्डर्ड) रखे जांय वे न केवल सख्त हों बल्कि समुचित रीति से तथा दृढ़तापूर्वक लागू भी किये जायं ।

(अध्याय ११, पैरा ४)

११—विशेष वेतनों पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाय ।

(अध्याय १२, पैरा ८)

१२—वर्तमान परिपाटी को जिसके अधीन फंडामेंटल रूल ९ (२५) के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष वेतन किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने पर पूर्ववत् बना रहता है, बन्द कर दिया जाना चाहिये । यह केवल तब तक दिया जाना चाहिये जब तक कि कर्मचारी उस पद पर रहे जिसके लिए विशेष वेतन की स्वीकृति दी गयी है ।

(अध्याय १२, पैरा १०)

१३—पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोत्तर) वेतन एक समान दशाओं में पूर्ववत् जारी रहने चाहिये ।

(अध्याय १२, पैरा १३ तथा १४)

१४—पोस्ट ग्रेजुएट(स्नातकोत्तर) अर्हतायें प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था अन्य प्राविधिक विभागों में भी उदारतापूर्वक की जानी चाहिये, यदि ऐसी अर्हतायें प्राप्त करना राज्य के हित में आवश्यक समझा जाय ।

(अध्याय १२, पैरा १४)

१५—५ प्रतिशत की दर से नगर प्रतिकर भत्ता, जो अधिक से अधिक १० रु० प्रतिमास होगा, ऐसे सभी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को दिया जाय जिन्हें बजट क अधिष्ठान पक्ष से भुगतान किया जाता हो और जो २९९ रु० प्रतिमास तक का वेतन मान ऐसे नगरों में पाते हों, जिनकी जनसंख्या ४ लाख या उससे अधिक हो, नगर प्रतिकर भत्ते की वर्तमान योजना वापस ले ली जाय ।

(अध्याय १३, पैरा ४)

१६—इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली के ज्येष्ठ पुलिस उपाधीक्षकों को ज्येष्ठता के आधार पर दिया जाने वाला प्रतिकर भत्ता बन्द कर दिया जाय ।

(अध्याय १३, पैरा ७)

१७—ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों को जो ५,००० फुट या उससे अधिक ऊंचाई पर तैनात हों, सर्दियों के केवल ४ महीनों के लिये, अर्थात् नवम्बर से फरवरी तक वेतन के ५ प्रतिशत की दर से ऊंचे स्थान पर रहने का भत्ता दिया जाय, जो कम से कम ५ रु० तथा अधिक अधिक ३० रुपया प्रतिमास होगा । यह भत्ता उत्तराखंड में तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस डिवीजन में तैनात होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को कोई भत्ता या विशेष वेतन मिलता रहेगा ।

(अध्याय १३, पैरा १२)

१८--मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर तथा साइकिल रखने के लिये वाहन भत्ते की नई दरों की सिफारिश की गई है ।

(अध्याय १३, पैरा १४)

१९--दो वाहन भत्तें सामान्यतः न दिये जायं । पुलिस अधीक्षकों को दिया जाने वाला घोड़ा भत्ता बन्द कर दिया जाय ।

(अध्याय १३, पैरा १५)

२०--यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायः--

प्रथम श्रणी--जो ९०० रु० से अधिक वेतन पा रहे हों ।

द्वितीय श्रेणी--जो २९९ रु० से अधिक किन्तु ९०० रु० से अनधिक वेतन पा रहे हों ।

तृतीय श्रेणी--जो ९९ रु० से अधिक किन्तु २९९ रु० से अनधिक वेतन पा रहे हों ।

चतुर्थ श्रेणी-- अन्य समस्त

(अध्याय १४, पैरा ४)

२१--प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के समस्त सरकारी कर्मचारी रेल की प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के अधिकारी होने चाहिये । तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी द्वितीय श्रेणी के रेल के डिब्बों में और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी तृतीय श्रेणी के रेल के डिब्बों में यात्रा करने के अधिकारी होने चाहिये ।

(अध्याय १४, पैरा ५)

२२--रेल द्वारा यात्रा करने के संबंध में प्रासंगिक व्यय की दरें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्रमशः ३,५,३, २ तथा १ पैसा प्रति किलोमीटर होनी चाहिये ।

(अध्याय १४, पैरा ६)

२३--दैनिक भत्ते की दरों के पुनरीक्षण का सुझाव दिया गया है ।

(अध्याय १४, पैरा ९)

२४--सरकारी मोटर गाड़ी के चालक को उस दशा में, आधा दैनिक भत्ता दिया जाय जबकि वह अपने मुख्यालय से ८ घंटे से अधिक समय तक बाहर रहे और जबकि वह वर्तमान नियमों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता पाने का अधिकारी नहीं होता है ।

(अध्याय १४, पैरा १०)

२५--किसी भी आकार की कार द्वारा किसी एक मास में की जाने वाली सड़क यात्राओं के संबंध में मील भत्ता प्रथम २०० किलोमीटर के लिये ३२ पैसा प्रति किलोमीटर, अगले १५० किलोमीटर के लिये २८ पैसा प्रति किलोमीटर और शेष यात्रा के लिये २५ पैसा प्रति किलोमीटर होना चाहिये । किसी एक मास में १,५०० किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के संबंध में कोई मील भत्ता न दिया जाना चाहिये ।

(अध्याय १४, पैरा ११)

२६--जिन अधिकारियों को सरकारी कार्य से यात्रायें करने के लिये सरकारी मोटर गाड़ियां दी गई हैं उन्हें स्वयं अपनी कारों द्वारा ऐसी यात्रायें करने की सामान्यतया अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

(अध्याय १४, पैरा ११)

२७--निर्धारित यात्रा भत्ते के समस्त मामलों को सरकार द्वारा समीक्षा की जाय और उपयुक्त दरों से भत्ता दिया जाय । निर्धारित यात्राभत्ता देने से सम्बद्ध शर्तों का जहां तक सम्भव हो, एक समान कर दिया जाय ।

(अध्याय १४, पैरा १५)

२८—आदेशिका वाहकों (Process servers) तथा नहर के पतरौलों को उपयुक्त दर से साइकिल भत्ता दिया जाय ।

(अध्याय १४, पैरा १६)

२९—सरकार को स्वयं अपने कर्मचारियों के लिये विशेषत: ऐसे कर्मचारियों के लिये जो अपेक्षाकृत बड़े नगरों में तैनात हैं, गृह निर्माण योजनाओं के संबंध में अपने ऊपर और अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिये ।

(अध्याय १५, पैरा ५)

३०—विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये गृहों की व्यवस्था करने के संबंध में निर्धारित किये गय प्रतिशत को बढ़ाया जाय ।

(अध्याय १५, पैरा ५)

३१—यह अधिक उपयुक्त होगा कि आवासिक भवनों की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान व्यय सीमा के बजाय फर्श का क्षेत्रफल (floor area) निर्धारित कर दिया जाय ।

(अध्याय १५, पैरा ७)

३२—ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली हास्पिटल नर्सों, लेडी हेल्थ विजिटरों तथा महिला अध्यापकों के लिये नि:शुल्क आवासिक स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(अध्याय १५, पैरा ११)

३३—यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली लेडी हेल्थ विजिटरों तथा महिला अध्यापकों के लिये मकान नहीं बनवा सकती तो सरकार को गैर-सरकारी मकान पट्टे पर ले लेने चाहिये ।

(अध्याय १५, पैरा ११)

३४—यदि स्थान उपलब्ध हो तो चतुर्थ वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिये बिना किराये के आवासिक स्थान की व्यवस्था करने का जो वर्तमान तरीका है उसे चालू रखा जाय किंतु उनसे पानी और बिजली के परिव्यय वसूल न करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(अध्याय १५, पैरा ११)

३५—उस दशा में जबकि नि:शुल्क आवासिक स्थान की व्यवस्था करना सेवा की शर्तों का एक अंग हो, सरकारी कर्मचारियों को नि:शुल्क आवासिक स्थान के बदले दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता, समान दर से दिया जाय जो उनकी परिलब्धियों के १० प्रतिशत के बराबर हो ।

(अध्याय १५, पैरा १२)

३६—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिनके लिये ५५–७५ तथा ६०–८० के नये वेतनमानों का प्रस्ताव किया गया है, अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो एक लाख और उससे अधिक किन्तु ५ लाख से कम की जन संख्या वाले नगरों में गैर-सरकारी किराये के मकान में रहते हों, उनकी परिलब्धियों का पांच प्रतिशत तक और ५ लाख तथा उससे अधिक की जन-संख्या वाले नगरों में उन्हें उनकी परिलब्धियों का ७।। प्रतिशत तक मकान किराया भत्ता दिया जाय किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे कर्मचारी द्वारा मकान के किराये पर वास्तव में व्यय की गयी धनराशि उस धनराशि से कम न हो जो उसके वेतन के १० प्रतिशत तथा अध्यर्थित (Claimed) भत्ते को मिला कर आती हो ।

(अध्याय १५, पैरा १३)

३७—ऐसे कर्मचारियों को जिनके लिये ५५–७५ तथा ६०–८० के वेतनमान प्रस्तावित किये गये हैं, एक लाख तथा उससे अधिक किन्तु ५ लाख से कम की जन-संख्या वाले नगरों में ३ रु० प्रतिमास और ५ लाख तथा उससे अधिक की संख्या वाले नगरों में ५ रु० प्रतिमास का मकान का किराया भत्ता उस दशा में दिया जाना चाहिये जबकि उनके लिये सरकारी आवासिक स्थान की व्यवस्था न की गयी हो ।

(अध्याय १५, पैरा १४)

३८--ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनका स्थानान्तरण हो सकता हैं, १ लाख या उससे अधिक की जन-संख्या वाले नगरों में सरकार होस्टल बनवाने की वांछनीयता पर विचार करे।

(अध्याय १५, पैरा १६)

३९--सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के संबंध में फाइनेंशियल हैंडबुक खंड ५ में जो नियम दिये गये हैं, उन्हें सरल किया जाना चाहिये।

(अध्याय १५, पैरा १७)

४०--ऐसे नगरों में, जहां काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार पृथक् औषधालय खोल सकती है। प्रारम्भ में पंच महानगरियों (कबाल टाउन्स) में तथा मेरठ और बरेली में पृथक् औषधालय खोले जा सकते हैं।

(अध्याय १६, पैरा १९)

४१--यदि सरकारी कर्मचारियों को औषधियां देने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता हो तो सरकार को आवश्यक निधियां जुटानी चाहिये।

(अध्याय १६, पैरा २२)

४२--कर्मचारी के परिवार के लिये गृहोपचार (domiciliary treatment) उसी प्रकार उपलब्ध होना चाहिये जिस प्रकार वह स्वयं उसके लिये उपलब्ध हो।

(अध्याय १६, पैरा २६)

४३--प्रत्येक प्राधिकृत चिकित्सक को घर पर जाकर रोगी देखने के लिये एक बार में एक रुपये की दर से किन्तु अधिक से अधिक १०० ० प्रतिमास तक वाहन भत्ता लेने की अनुमति दी जाय।

(अध्याय १६, पैरा २७)

४४--चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिये आश्रित माता-पिता को भी परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया जाय।

(अध्याय १६, पैरा २८)

४५--सरकारी मानसिक चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के हकदार सदस्यों को निःशुल्क उपचार कराने की अनुमति दी जाय।

(अध्याय १६, पैरा २९)

४६--प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की राय से "एम्बुलेंस" का निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दी जाय।

(अध्याय १६, पैरा ३०)

४७--यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्यों को निर्वहन करते समय चोट लग जाय या कोई बीमारी अथवा छूत का रोग हो जाय तो कृत्रिम अवयव जैसे उपकरणों का मूल्य उसे दिया जाना चाहिये।

(अध्याय १६, पैरा ३३)

४८--कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिये निःशुल्क दंत उपचार उपलब्ध होना चाहिये।

(अध्याय १६, पैरा ३३)

४९--व्यय प्रतिपूर्ति पद्धति जो समाप्त कर दी गई है, फिर से आरम्भ न की जाय।

(अध्याय १६, पैरा २३)

५०—जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन २०० रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, उनके संबंध में साधारण प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षा संहिता में निर्धारित दरों पर कक्षा १२ तक और साथ ही मान्यता प्राप्त समकक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक कक्षाओं में भी एक समय पर दो बच्चों तक की शिक्षण शुल्क तथा विद्वान शुल्कों की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाय। विशेष प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, चाहे ऐसे विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही क्यों न हों इस रियायत के हकदार न होंगे, पर उन्हें शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क में केवल उतनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायगी जितनी कि सामान्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क के लिये निर्धारित है।

(अध्याय १७, पैरा ५)

५१—स्थानान्तरण होने पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कम से कम सरकारी शिक्षा संस्थाओं में भरती के मामले में पूर्वता दी जाय।

(अध्याय १७, पैरा ८)

५२—अर्जित अवकाश १८० दिवसों तक इकट्ठा करने की अनुमति दी जाय परन्तु इसमें से किसी एक समय पर १२० दिवसों से अधिक का अवकाश न स्वीकृत किया जाय।

(अध्याय १८, पैरा ६)

५३—दीर्घावकाश विभाग में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कार्य करने की अवधि के जिसमें कतिपय शर्तों पर अवकाश भी सम्मिलित है, १/११ की दर से अर्जित अवकाश मिलना चाहिये।

(अध्याय १८, पैरा ७)

५४—समस्त स्थायी कर्मचारियों के लिये निजी कार्यों के लिये अवकाश की शर्तें एक समान होनी चाहिये।

(अध्याय १८, पैरा ११)

५५—अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को भी उन्हीं परिस्थितियों में तथा उसी सीमा तक विशेष अशक्तता अवकाश मिलना चाहिये जिनमें और जिस सीमा तक स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ऐसा अवकाश मिलता है।

(अध्याय १८, पैरा १६)

५६—७० रु० प्रतिमास की वर्तमान सीमा की तुलना में १५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले निर्दिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों को चिकित्सालय अवकाश मिलना चाहिये। अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी जिनके कर्त्तव्यों में खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक सामग्री, विषैली गैसों तथा दवाओं आदि को रखना उठाना भी शामिल है, वह अवकाश पाने के हकदार हों।

(अध्याय १८, पैरा १९)

५७—अध्ययन अवकाश की स्वीकृति संबंधी शर्तें उदार बनाई जायं।

(अध्याय १८, पैरा २०)

५८—किसी पाठ्य-क्रम के अध्ययन के लिये किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया असाधारण अवकाश भी वेतन वृद्धि के निमित्त जोड़ा जाय।

(अध्याय १८, पैरा २४)

५९—विज्ञान के ऐसे अध्यापक जो अपनी अध्यापन प्रवीणता को बढ़ाने के लिये उच्चतर योग्यतायें प्राप्त करने अथवा शोध कार्य करने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अध्ययन अवकाश लेने की सुविधायें दी जायं।

(अध्याय १८, पैरा २५)

६०—अर्जित अवकाश आदि पर जाने वाले स्थायी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिया गया अंतिम मौलिक वेतन अथवा पिछले १० महीनों में अर्जित औसत वेतन इनमें से जो भी अधिक हो, दिया जाय। किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो ऐसे पद से अर्जित अवकाश आदि पर जाता है जिसका उच्चतम वेतन ९० रु० से अनधिक है उसके द्वारा लिये गये अंतिम वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाय।

(अध्याय १८, पैरा ३३)

६१—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जब वह ३० अथवा उससे अधिक दिवसों के लिये सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश से भिन्न अर्जित अवकाश पर जाय तो अवकाश वेतन के उसके अंतिम दावे की तुलना में उसके द्वारा लिये गये अंतिम वेतन के ७५ प्रतिशत तक अग्रिम वेतन लेने की अनुमति दी जाय। राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामलों में महालेखाकार से अनुज्ञा परची (authority slip) प्राप्त हुए बिना भी ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिये।

(अध्याय १८, पैरा ३४)

६२—अवकाश के मामले में जिन लाभों की समिति द्वारा सिफारिश की गई है वे केवल ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्राप्य हों जो नये वेतनमानों को चुनेंगे।

(अध्याय २२, पैरा १३)

६३—अधिवर्ष वय प्राप्त होने पर, जब कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो, तो उसे सेवा के पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये वेतन के काल मान में (जिसमें वेतन की निर्धारित दर भी सम्मिलित है) मासिक वेतन के १/३ के हिसाब से आनुतोषिक दिया जाय, किन्तु शर्त यह है कि उसने पेंशन युक्त अधिष्ठान में कम से कम लगातार १० वर्ष तक सेवा की हो।

(अध्याय १९, पैरा ५)

६४—किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को उपर्युक्त दर से और उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए, आनुतोषिक दिया जाना चाहिये।

(अध्याय १९, पैरा ५)

६५—राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम पेंशन ६,७५० रु० से बढ़ाकर ७,२०० रु० प्रतिवर्ष कर दी जाय।

(अध्याय १९, पैरा ७)

६६—भत्तों सहित सभी छुट्टी की गणना पेंशन के निमित्त अर्हकारी सेवा (qualifying service) के लिये की जाय।

(अध्याय १९, पैरा ९)

६७—पारिवारिक पेंशन (फेमिली पेंशन) ऐसे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी के, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, परिवार को निम्नलिखित दरों पर कतिपय शर्तों के अधीन दी जाय जिसकी सेवा के दौरान में अथवा सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाय :—

(१) २९९ रु० प्रतिमास तक वेतन .. वेतन का २० प्रतिशत।

(२) ३०० रु० तथा उस से अधिक किन्तु ९०० रु० प्रतिमास से अनधिक वेतन .. वेतन का १५ प्रतिशत परन्तु १०० रु० प्रतिमास से अधिक नहीं।

(३) ९००रु० प्रतिमास से अधिक वेतन .. वेतन का १२ प्रतिशत परन्तु १५० रु० प्रति मास से अधिक नहीं।

(अध्याय १९, पैरा १६)

६८—सेवा निवृत्ति के लाभों की दशा में समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले लाभ केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे जो नया वेतनमान चुनें।

(अध्याय २२, पैरा १३)

६९—सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के लिये सामान्य निर्वाह निधि (जनरल प्राविडेंट फंड) से अस्थायी अग्रिम धनराशि (temporary advance) लेने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(अध्याय २०, पैरा ४)

७०—सामान्य निर्वाह निधि में शेष धनराशि पर उस समय तक ब्याज दिया जाना चाहिये जब तक कि उसका भुगतान अभिदाता को नहीं किया जाता। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त भुगतान अभिदाता की ओर से की गयी किसी गलती के कारण न रुका हो।

(अध्याय २०, पैरा ८)

७१—कार्यालय भवनों के निर्माण के लिये सरकार को एक क्रमबद्ध कार्य-क्रम प्रारम्भ करना चाहिये।

(अध्याय २१, पैरा ३)

७२—खस टट्टियों के स्थान पर जलशीत (वाटर कूलर) बड़े पैमाने पर लगाये जायं।

(अध्याय २१, पैरा ४)

७३—समस्त सरकारी कार्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार सायकिल स्टैण्ड, पीने के पानी तथा स्वच्छता का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये।

(अध्याय २१, पैरा ५)

७४—यदि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या ५० से अधिक न हो तो जलपान कक्षों (tiffin rooms) की व्यवस्था की जाय और यदि कर्मचारियों की संख्या ५० से अधिक हो तो कैन्टीन संबंधी सुविधाएं प्रदान की जांय।

(अध्याय २१, पैरा ७)

७५—यदि सहकारिता के आधार पर कैन्टीन चलाया जाता हो तो क्राकरी, फर्नीचर आदि की खरीद के लिये सहायक अनुदान दिया जाय। पर उन्हें बदलने तथा उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी सहकारी समिति की होगी।

(अध्याय २१, पैरा ७)

७६—सरकार छोटे-मोटे कैन्टीनों में खान-पान का प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों के अधिकांश व्यय की पूर्ति करने की वांछनीयता पर विचार करे और ज्यों-ज्यों कैन्टीनों का आकार बढ़ता जाय त्यों-त्यों सरकार का अंशदान कम होता जाय।

(अध्याय २१, पैरा ७)

७७—कार्यकाल के घंटों अथवा छुट्टियों की संख्या के संबंध में उदारता की आवश्यकता नहीं है।

(अध्याय २१, पैरा ९)

७८—मध्याह्न भोजन के अन्तराल को और अधिक प्रभावपूर्ण रूप से विनियमित करना चाहिये।

(अध्याय २१, पैरा १०)

७९—कार्य के मानक नियत किये जायं और लागू किये जायं।

(अध्याय २१, पैरा १०)

८०—आबकारी निरीक्षकों (एक्साइज इंसपेक्टरों) को जिनके लिये वर्दी नियत की गई है, उपर्युक्त वर्दी भत्ता दिया जाय।

(अध्याय २१, पैरा १७)

८१—पर्वतीय क्षेत्रों तथा जिला देहरादून के चकराता तहसील में पटवारियों और कानूनगोओं के साथ रखे गये चपरासियों को उपयुक्त वर्दी दी जानी चाहिये, क्योंकि उनकी भर्ती पुलिस ऐक्ट के अधीन की जाती है ।

(अध्याय २१, पैरा १८)

८२—पर्यटक विभाग द्वारा अल्प आय वर्ग के लिये और अधिक होस्टलों का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिये ।

(अध्याय २१, पैरा २३)

८३—नये वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों का वेतन, उनकी वर्तमान परिलब्धियों के ठीक ऊपर के प्रक्रम पर निश्चित किया जाय ।

(अध्याय २२, पैरा ८)

८४—जब नये वेतनमान और महंगाई भत्ते लागू हो जायेंगे तब अन्तरिम सहायता बन्द हो जायगी ।

(अध्याय २२, पैरा ११)

८५—प्रत्येक कर्मचारी को नया वेतनमान चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिये चाहे वह ऐसा नये वेतन मान के प्रारम्भ होने के दिनांक से करे अथवा वर्तमान वेतनमान में अपने अगली वेतन वृद्धि के दिनांक से करे । जो सरकारी कर्मचारी नये वेतनमान के प्रारम्भ होने के दिनांक को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, वह अपने निम्नतर पद तथा जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, दोनों ही के संबंध में चाहे तो वर्तमान वेतनमानों में पूर्ववत रह सकता है अथवा चाहे तो दोनों पदों के लिये नये वेतनमानों को चुन सकता है ।

(अध्याय २२, पैरा १२)

८६—किसी कर्मचारी को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति होने पर पहले उसका वेतन एन वेतन वृद्धि द्वारा निम्नतर वेतनमान में बढ़ाया जाना चाहिये और तत्पश्चात् उच्चतर वेतनमान में उससे ऊपर के प्रक्रम पर निश्चित किया जाना चाहिये । परन्तु यह लाभ प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को उसकी प्रोन्नति होने पर नहीं दिया जाना चाहिये ।

(अध्याय २३, पैरा ३)

८७—प्रथम श्रेणी के अधिकारी का वेतन भी, उच्चतर पद पर उसकी प्रोन्नति होने पर, निम्नतर पद में उसके वेतन के अगले प्रक्रम पर निश्चित किया जाना चाहिये, चाहे वह निम्नतर पद पर मौलिक हैसियत से कार्य कर रहा है या नहीं ।

(अध्याय २३, पैरा ३)

८८—नये वेतनमान और महंगाई भत्ता १ अप्रैल, १९६५ से लागू किये जायं ।

(अध्याय २३, पैरा ३)

८९—एक पूरे वर्ष में इन सिफारिशों पर कुल १,५११.९३ लाख रु० व्यय होने की संभावना है ।

(अध्याय २४, पैरा ४)

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८३ पर)

तालिका

जिला परिषद्, आजमगढ़ के अदीक्षित अध्यापकों का ३१–३–६५ का विवरण

आयु	योग्यता												अनुभव								
	कक्षा ८ पास	जू० हा० स्कूल			हाई स्कूल			इन्टर			अन्य	योग	२० वर्ष से अधिक	१५ वर्ष से २० वर्ष तक	१० वर्ष से १५ वर्ष तक	५ वर्ष से १० वर्ष तक	५ वर्ष से कम	२ वर्ष से कम	१ वर्ष से कम	योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय										
३५ वर्ष से अधिक ..	..	..	..	१७	४२ २ पास ..	..	४	३	..	..	..	..	६८	१८	११	९	१८	१२	..	..	६८
३० से ३५ ..	..	..	..	८	१५	..	७	१२	..	..	१	..	४३	१३	१२	९९	९	..	..	..	४३
२६ से ३० वर्ष तक ..		१	..	७	४८	..	८२	६८ ९ पास	..	४	२५	नवीं कक्षा पास २ १ विद्या विनोदनी	२४७	..	..	१३३	७७	३७	..	..	२४७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आयु	योग्यता													अनुभव							
	कक्षा ८ पास	जू० हा० स्कूल प्रथम	जू० हा० स्कूल द्वितीय	जू० हा० स्कूल तृतीय	हाई स्कूल प्रथम	हाई स्कूल द्वितीय	हाई स्कूल तृतीय	इन्टर प्रथम	इन्टर द्वितीय	इन्टर तृतीय	अन्य	योग	२० वर्ष से अधिक	१५ वर्ष से २० वर्ष तक	१० वर्ष से १५ वर्ष तक	५ वर्ष से १० वर्ष तक	५ वर्ष से कम	२ वर्ष से कम	१ वर्ष से कम	योग
१८ से २६ वर्ष तक	.. ..	९	४३	७७	१७	४५०	१८८	२	६६	१६०	४ मध्यमा १ विशारद १ बी०ए० १ बी०काम० ९ विद्या-विनोदनी १ प्रवेशिका १ नवीं कक्षा पास १८	१०३०	..	..	..	१२	१२०	२००	६९८	१०३०
	१	९	७५	१८४	१७	५४३	२८०	२	७०	१८६	२१	१३८८	३१	२३	१५१	११६	१६९	२००	६९८	१३८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १ले शुक्रवार के लिये श्री राज नारायण सिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संबंध में

विद्यालय का नाम	वर्ष	डी० ए० के मद में छात्रों से प्राप्त की गई धनराशि	प्रत्येक वर्ष डी० ए० के धन का कितना रुपया खर्च किया गया	प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना रुपया शेष रहा	विवरण
१	२	३	४	५	६
१—के०के० कालेज, लखनऊ	६०–६१	१५,३५२.००	८,६८१.७८	६,६७०.२२	स्तम्भ (४) में अंकित धन लिपिक वर्ग, अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने में व्यय किया गया है। स्तम्भ (५) में अंकित शेष धन को प्रबन्धक के कथनानुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जाड़े व गर्मी की वर्दी तथा पी० एफ० की सुविधा में लगाया गया है। डी० ए० का हिसाब-किताब रखा जाता है।
	६१–६२	१५,९९५.८५	१०,६८६.९९	५,३०८.८६	
	६२–६३	१७,१९०.६३	१४,८८५.४५	२,३०५.१८	
	६३–६४	१९,११०.११	१५,८६७.०९	३,२४३.२	
	६४–६५	२०,८३१.७५	१६,६२३.५२	४,२०८.२३	
२—के० के० बोकेशनल कालेज, लखनऊ ..	६०–६१	४,०६०.००	३,७२८.०१	३३१.९९	कालम (४) में अंकित धन विद्यालय के स्टाफ को डी० ए० देने में व्यय किया गया है। ६०–६१ तथा ६१–६२ के शेष धन में से ६२–६३, ६३–६४ के डी० ए० का भुगतान किया गया है। जिन वर्षों में डी० ए० की आय से अधिक धन बांटा गया वह अधिक व्यय कालेज ने स्वयं निजी स्रोतों से वहन किया।
	६१–६२	५,२२२.००	४,२८१.५५	९४०.४५	
	६२–६३	५,४४७.००	६,४९८.०३	..	
	६३–६४	५,५८९.००	६,७५२.७८	..	
	६४–६५	५,५५४.००	७,३२९.२९	..	
				..	

विद्यालय का नाम	वर्ष	डी० ए० के मद में छात्रों से प्राप्त की गई धनराशि	प्रत्येक वर्ष डी० ए० के धन का कितना रुपया खर्च किया गया	प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना रुपया शेष रहा	विवरण
१	२	३	४	५	६
३—विश्रान्त कालेज, लखनऊ।	६०–६१	..	..	..	विद्यालय में ६०–६१ में डी० ए० शुल्क नहीं दिया जाता था। स्तम्भ (४) में अंकित रकम लिपिकों तथा चपरासियों को मंहगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। स्तंभ (५) में अंकित अवशेष धनराशि को प्रबन्धक के कथनानुसार अतिरिक्त वेतन के रूप में अध्यापकों को तथा प्रधानाचार्य को वेतन दिया जाता है, क्योंकि उनके वेतन पर विभागीय अनुदान नहीं मिलता है। उक्त राशियों के व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। ६४–६५ में प्रधानाचार्य को डी० ए० के मद में से अक्तूबर, १५, १९६४ तक का भुगतान किया गया है।
	६१–६२	७,७२६.००	१,५१२.९०	६,२१३.१०	
	६२–६३	८,४७३.००	२,७९३.९९	५,६७९.०१	
	६३–६४	६,५६२.००	३,५७७.२९	२,९८४.७१	
	६४–६५ फरवरी तक।	६,२३७.००	५,२३८.५२	९९८.४८	
४—महिला कालेज, लखनऊ	६०–६१	१,०६५.००	३,६२२.००	..	कालम (४) में अंकित धन को मंहगाई के रूप में लिपिकों तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों को दिया जाता है।
	६१–६२	४,२७२.००	७,३००.००	..	
	६२–६३	४,२००.००	८,८००.००	..	
	६३–६४	४,६१४.००	७,९२८.००	..	
	६४–६५	४,३०२.००	६,९११.००	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५—क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ।	६०–६१	३,३५८.००	७,६२७.०९	..	डी० ए० शुल्क के अतिरिक्त कालेज प्रबन्ध कमेटी निजी स्रोतों से धन डी० ए० में मिलाकर शिक्षकों तथा कालेज के दूसरे कर्मचारियों को डी० ए० देती है।
	६१–६२	३,१३९.००	७,९००.८०	..	
	६२–६३	२,९४४.००	८,५६७.८०	..	
	६३–६४	२,९९६.००	९,१५५.६१	..	
	६४–६५ (मार्च, १० १९६५ तक)।	३,१०१.२२	९,२५०.५१	..	
६—शशि भूषण बालिका विद्यालय, लखनऊ	६०–६१	..	..	..	वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में इस विद्यालय ने छात्राओं से डी० ए० शुल्क नहीं लिया। वर्ष ६२–६३ में कुल ९०९.५० रु० डी० ए० शुल्क लिया गया जिसमें २२०.०० केवल लिपिकों तथा निम्न वर्गीय कर्मचारियों में डी० ए० के रूप में वितरित किया गया और ६८९.५० रु० प्राप्त डी० ए० शुल्क से शेष रह गए। वर्ष ६३–६४ में डी० ए० शुल्क ८९२.५० रु० प्राप्त हुआ और वर्ष ६२–६३ में शेष धन को मिलाकर १,०२०.९९ रु० लिपिकों एवं निम्नवर्गीय कर्मचारियों में वितरित किया गया। वर्ष ६४–६५ में ८८०.०० रु० डी० ए० शुल्क में प्राप्त हुए और ६४०.०० रु० लिपिकों तथा निम्न वर्गीय कर्मचारियों, में बांटा गया। शेष धन अध्यापिकाओं, लिपिकों एवं निम्नवर्गीय कर्मचारियों को बांटा जायगा।
	६१–६२	..	..	..	
	६२–६३	८०९.५०	२२०.००	६८९.५०	
	६३–६४	८९२.५०	१,०२०.९९	..	
	६४–६५	८८०.००	६४०.००	२४०.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विद्यालय का नाम	वर्ष	डी० ए० के मद में छात्रों से प्राप्त की गई धनराशि	प्रत्येक वर्ष डी० ए० के धन का कितना रुपया खर्च किया गया	प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना रुपया शेष रहा	विवरण
१	२	३	४	५	६
७—शिया कालेज, लखनऊ	६०–६१	२,७७२.००	२,७७१.००	१.००	विद्यालय में डी० ए० शुल्क की आय से लिपिकों तथा निम्नवर्ग के कर्मचारियों को डी० ए० दिया जाता है। स्तम्भ (५) में शेष धन १९६५–६६ वर्ष के धन में मिलाकर विद्यालय कर्मचारियों में वितरित किया जायगा।
	६१–६२	३,१०८.००	३,१०८.००	..	
	६२–६३	६,८५०.००	६,८५०.००	१.००	
	६३–६४	७,७४१.००	६,४५६.००	२८.००	
	६४–६५	७,११६.००	७,२३०.००	१८६.००	
८—खुनखुन जी गर्ल्स कालेज लखनऊ।	६०–६१	..	..	..	विद्यालय में ६०–६१ से ६३–६४ तक डी० ए० फीस नहीं लिया जाता था। १९६४–६५ के डी० ए० शुल्क से लिपिकों तथा निम्नवर्ग के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया गया।
	६१–६२	..	..	..	
	६२–६३	..	..	..	
	६३–६४	..	..	..	
	६४–६५	७२३.००	७१४.००	९.००	
९—करामत हुसैन गर्ल्स कालेज, लखनऊ	६०–६१	..	..	..	६०–६१ में डी० ए० शुल्क नहीं लिया जाता था। ६१–६२ के डी० ए० शुल्क से लिपिकों तथा निम्नवर्ग के कर्मचारियों को डी० ए० दिया गया। वर्तमान समय में प्राप्त डी० ए० कर्मचारियों में बांट दिया जाता है।
	६१–६२	४२५.००	४२५.००	..	
	६२–६३	८६२.०१	४९२.००	३७०.००	
	६३–६४	१,१९३.५०	१,०१९.८८	१७३.६२	
	६४–६५	९६९.००	१,०५५.०३	..	

१०—आई० डी० कालेज, लखनऊ।	६०–६१	..	..	..	विद्यालय में ६०–६१ में डी० ए० कर्मचारियों को नहीं दिया जाता था। ६१–६२ तथा ६२–६३ में डी० ए० की आय में से केवल निम्नवर्ग कर्मचारियों को डी० ए० दिया गया था। ६३–६४ में डी० ए० निम्नवर्ग के कर्मचारियों के अतिरिक्त लिपिकों को भी दिया जाता है। अधिक व्यय कालेज अपनी ओर से वहन करता है।
	६१–६२	१३३.००	५४९.००		
	६२–६३	३१७.००	८०६.००		
	६३–६४	४१४.००	१,२५५.००	..	
	६४–६५	४५०.००	१,३००.००	..	
११—जुबिली गर्ल्स कालेज, लखनऊ	६०–६१	१,२४२.००	१,२४३.००	..	विद्यालय में डी० ए० की आय से अध्यापकों तथा लिपिकों को डी० ए० दिया जाता है।
	६१–६२	१,३६१.००	१,३५८.९७	२.०३	
	६२–६३	२,७६२.००	२,४८८.५६	२७३.४४	
	६३–६४	१,१८१.००	२,३८८.९३	९२.०१	..
	६४–६५	१,३०७.००	८४५.७३	४६१.२७	..
१२—नवयुग कन्या विद्यालय, लखनऊ					इस विद्यालय में ६०–६१ से डी० ए० शुल्क नहीं लिया जाता है।
१३—डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ					उपरोक्त
१४—नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ ..					उपरोक्त
१५—लोरेटो कांवेन्ट गर्ल्स कालेज, लखनऊ ..					उपरोक्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९७ पर)

क्रमांक	नाम लेखपाल		बकाया वेतन का समय
१	श्री सुन्दर लाल, तहसील बिसवां	..	१३–७–५७ से १४–८–५८
२	श्री मल्लर राम, तहसील बिसवां	..	१८–७–५७ से २०–८–५८
३	श्री शरीफ खां, तहसील बिसवां,	..	१८–७–५७ से १८–८–५८
४	श्री शम्भू दयाल, तहसील बिसवां	..	१८–७–५७ से १८–८–५८
५	श्री खुशी राम, तहसील बिसवां	..	१८–७–५७ से १४–८–५८
६	श्री मोहम्मद हलीम, तहसील बिसवां	..	१८–७–५७ से २०–८–५८
७	श्री भगवती प्रसाद, तहसील मिश्रिख	..	२७–१०–५६ से १६–९–५८

नोट—उपर्युक्त सूचना पुरानी लेखपाल प्रेडेशन लिस्ट के एक इन्द्राज के आधार पर दी गई है। सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जिनकी खोज की जा रही है और तभी प्रमाणिक तथ्य का पता चलेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

तालिका (३१ मार्च, १९६५ की स्थिति)

क्रम-संख्या	मिल मालिकों के नाम	किस विषय का बकाया है	बकाया बिक्री-कर की रकम	वसूली के लिए की गई कार्यवाही का विवरण
१	सर्वश्री लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, बिहारी निवास, कानपुर।	१९५७–५८ ..	१,५३,३२६.५०	वसूली का प्रमाण-पत्र १०–१०–६० को जारी किया गया। अर्थदण्ड ३२,७७७ रु० धारा १५–ए (१) (सी) के अन्तर्गत लगाया गया। जिलाधीश, कानपुर ने २५,००० रु० प्रति माह के हिसाब से किस्त निर्धारित की। कम्पनी ने दिनांक २५–७–६३ से किश्त देना बन्द कर दिया उसके बाद जिलाधीश ने दुबारा १७,००० रु० की किस्त अक्तूबर, ६४ में देने के लिए आदेश दिया। नम्बर, में अटैचमेन्ट किया। कम्पनी ने हाई कोर्ट में रिट दायर की जो अब रद्द हो चुकी है। कलेक्टर, कानपुर ने १–४–६५ के बाद कर की पूरी रकम वसूल कर ली है।
२	अथर्टन वेस्ट कम्पनी, फैक्ट्री एरिया, कानपुर	१९५७–५८ ..	३७,५००.२२	व्यापारी राज्य सरकार के आदेशानुसार १०,१०० रु० त्रैमासिक जमा कर रहा है।
३	स्वदेशी काटन मिल्स कं०, ..	१९५६–५७ ..	१,१६,६००.००	व्यापारी के ऊपर कर की कोई रकम बकाया नहीं है। अर्थदण्ड की रकम की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी हैं।
	स्वदेशी हाउस, कानपुर	१९५७–५८ ..	२,४५,७५३.००	
		अर्थदण्ड ..	३,६२,४१२.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल मालिकों के नाम	किस वर्ष का बकाया है	बकाया बिक्री-कर की रकम	वसूली के लिए की गई कार्यवाही का विवरण
४	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर ..	१९५७–५८ ..	४५,१९७.९०	व्यापारी के प्रत्येक देय कर के प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनके ऊपर १९६२–६३ में ४७,७८२ रु० अर्थदण्ड लगाया गया तथा और वर्षों के लिए भी अर्थ दण्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है। बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ८ (क) (६) के अन्तर्गत व्यापारी से प्रान्तीय रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए जमानत की मांग की जा रही है। वर्ष १९६४–६५ के धनराशि की वसूली माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्थगित कर दी गई है।
		१९५८–५९ ..	१५,०६०.०२	
		१९६०–६१ ..	१५,५६१.८६	
		१९६१–६२ ..	२०,७५०.००	
		१९६२–६३ ..	८९,५५३.८०	
		१९६३–६४ ..	८९,९९५.७६	
		१९६१–६२ .. (केन्द्रीय)	७१,६३४.२८	
		१९६४–६५ ..	८४,४००.००	
			४,१२,१५३.६२	
५	एच० जी० मिश्रा ऐंड कम्पनी, फैक्ट्री एरिया, कानपुर। ..	१९५५–५६ ..	६५,५२०.००	व्यापारी के प्रत्येक देय कर के वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है।
		१९५६–५७ ..	१,०९,४२१.३६	
		१९५७–५८ ..	२३,२०६.३५	
		१९५८–५९ ..	१२,५३५.३८	
		अर्थदण्ड ..	२,१०,६८३.०९	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६	जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स, कमला टावर, कानपुर।	१९५७–५८.अर्थदण्ड	१,३५,०००.००	व्यापारी के उपर कर की कोई रकम बकाया नहीं है। अर्थदण्ड (जुर्माने) की धनराशि के वसूली के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं।
७	कानपुर रोलिंग मिल्स	१९५५–५६ ..	१५,६२५.००	इन सब धनराशियों की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे परन्तु अब हाईकोर्ट द्वारा वसूली स्थगित कर दी गई है।
		१९५६–५७ ..	८६,९३७.००	
		१९५७–५८ ..	१,४२,९३७.००	
		१९५८–५९ ..	४,५३९.४८	
		१९५९–६० ..	२१,२४७.१४	
	केन्द्रीय ..	१९५८–५९ ..	१,८५,२८३.६१	
		१९५९–६० ..	२,८०,०३२.७२	
			७,३६,६०१.९५	
८	सर्वश्री जे० के० जट मिल्स, कमला टावर, कानपुर।	१९६०–६१ ..	२९,५४६.२४	इस धनराशि की वसूली जज, रिवीजन के आदेशानुसार स्थगित कर दी गई है।
९	कानपुर प्लेट मिल्स	१९५६–५७ ..	४,९२१.८७	इन सब धनराशियों के वसूली के प्रमाण-पत्र जारी हैं।
		१९५७–५८ ..	५,६८४.३७	
		१९५८–५९ ..	४,०६२.५०	
		१९५९–६० ..	२,८३६.७५	
	केन्द्रीय	१९५९–६० ..	९३.९८	
		१९६०–६१ ..	३,६३०.७७	
			२१,२३०.२४	
१०	यू० पी० रोलिंग मिल्स	१९५८–५९ ..	५०,०००.००	इन धनराशियों के प्रमाण-पत्र जारी हैं। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाने की भी कार्यवाही
		१९५९–६० ..	५४,३९१.७७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल मालिकों के नाम		किस वर्ष का बकाया है	बकाया बिक्री-कर की रकम	वसूली के लिए की गई कार्यवाही का विवरण
		केन्द्रीय ..	१९६१–६२ ..	३०,०००.००	की जा रही है। वर्ष १९६१–६२ में ४,००० रु० अर्थदण्ड लगाया गया। वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० के केस अप्रैल, १९६५ में रिमाइन्ड हो गए हैं।
			१९६१–६२ ..	३०,०००.००	
				१,६४,३९१.७७	
११	न्यू० विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	केन्द्रीय ..	१९५७–५८ ..	३७,३३३.८०	इन धनराशियों की वसूली जज, रिवीजन द्वारा स्थगित कर दी गई है।
			१९५९–६० ..	२,५९२.९८	
				३९,९२६.७८	
१२	म्यौर मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर	..	१९५६–५७ ..	४६,७४०.००	इन सब धनराशियों के वसूली के प्रमाण-पत्र जारी हैं। वर्ष ५६–५७ व ५७–५८ में अर्थदण्ड लगाया गया।
			१९५७–५८ ..	६७,७६,७५०.५३	
			१९५८–५९ ..	१,५००.००	
		केन्द्रीय ..	१९५८–५९ ..	१००.००	
			१९५९–६० ..	१०,७७६.९७	
				८,३५,८६७.५०	
१३	जे० के० आयल मिल्स, कानपुर	..	१९५७–५८ .. (केन्द्रीय)	२०,०००.००	५७–५८ बकाया धनराशि की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी हैं। इसके अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		केन्द्रीय	१९५८–५९ .. ४१,६४५.१५ १९६१–६२ .. १६,०५६.५६	गया। बाकी धनराशि की वसूली जज, रिवीजन के आदेशानुसार स्थगित कर दी गई है।
			७७,७०१.७१	
१४	नन्हू मल ज्योति प्रसाद, हलसी रोड, कानपुर		१९५६–५७ .. ६९,८८४.७८ १९५७–५८ .. ७७,१७२.२८ १९५८–५९ .. ८९,१०५.४५ १९५९–६० .. ५४,१५७.१३	इन सब राज्यों की धनराशियों की वसूली जज, रिवीजन द्वारा स्थगित कर दी गई है।
			२,९०,३१९.६४	
१५	कानपुर बनस्पति स्टोर्स, हलसी रोड, कानपुर		१९५७–५८ ३,५२,२३१.१९	इस धनराशि की वसूली माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्थगित कर दी गई है।
१६	जगदीश रोलिंग मिल्स		१९५८–५९ १२,०९१.३० १९५९–६० .. ३९,७८०.६६	इन दोनों धनराशियों की वसूली जज, रिवीजन द्वारा स्थगित कर दी गई है।
			.. ५१,८७१.९६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९९ पर)

राजस्व परिषद् द्वारा कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर जुलाई, १९६३ में दिये गये निर्णय का विवरण नीचे दिया हुआ है

कर्मचारी का नाम	निर्णय का विवरण
१—श्री शहंशाह अब्बास जैदी २—श्री गुलाम जीलानी	परिषद् ने इन कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर आदेश दिया कि इनके नाम पेड अप्रेन्टिसों की अनुमोदित सूची (ए) में अंकित कर दिए जावें। यदि यह किसी अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों और यदि ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए हों तो इन्हें उक्त परीक्षा में बैठना होगा।
३—श्री मुहम्मद असलम नकवी ..	इनके प्रत्यावेदन पर यह निर्णय दिया कि इनकी सेवा १६ अगस्त, १९६१ को ३ वर्ष से कम थी। अतः इनका नाम पेड अप्रेन्टिसों की अनुमोदित सूची (बी) में अंकित करने के लिए इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। परन्तु चूंकि यह उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके, इस कारण इन्हें उक्त परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाय। परिषद् ने यह भी आदेश दिया कि इनकी सेवा समाप्त करना इनके लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा। अतः यदि इनका कार्य सन्तोषजनक हो तो इन्हें सेवा में लगाए रखा जाये।

संसद प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

तहसील लालगंज

नाम ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१—देवरिया	४.७०४
२—वासूपुर	.०८२
३—देवरिया	१.८३९
४—इरनी	२७.८७३
५—अटारपुर	४.७६२
६—उम्मरपुर	३.९४०
७—गड़वेपुर	९.२१८
८—गड़वेपुर	.०७९
९—उम्मरपुर	६.७१५
योग ..	५९.२१२

तहसील फूलपुर

१—कबैइला	०.०८०
२—इटौरा खासिलपुर	२.०६५
३—सेरांव	०.०३१
४—गोबिन्दपुर	०.७६९
५—रामपुर खास	०.२९९
६—भवानीपुर	०.२६०
७—भीखपुर	०.२४०
८—पवई	३.७७३
९—बागबहार	०.११७
१०—बिलार मऊ	१.३४५
११—कस्बा फतेहपुर	०.१४७
१२—करूई	२.२११
१३—मित्तूपुर	०.६८४
१४—दत्तापुर	४.३१३
१५—मुहम्मदपुर	१.९१२
१६—बलईपुर	१.७७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम ग्राम					क्षेत्रफल (एकड़ में)
१७—मित्तूपुर	..	..	..	..	१.१०६
१८—मुहम्मदपुर	..	..	..	..	०.६२४
१९—दादनपुरा	..	..	..	..	०.४५३
२०—रसूलपुर	..	..	..	..	४.५८७
२१—जगदीशपुर	..	..	..	..	४.१९१
२२—बधवा इस्लाम	..	..	..	..	०.७८१
२३—फतूही	..	..	..	..	०.७२३
२४—बेलहरी हसनपुर	..	..	..	..	०.६६०
२५—तुंगी ..	..	..	..	..	०.७०२
२६—दबरा	..	..	..	..	४.८८०
२७—विशनपुर	..	..	..	..	८.००९
२८—सरकोला	..	..	..	..	१५.५८३
२९—असलाई बुजुर्ग	..	..	..	..	२.०६९
३०—असलाई खुर्द	..	..	..	..	३.८६२
३१—कतकौली	..	..	..	..	०.०७५
३२—सिपाह	..	..	..	..	०.९६२
३३—शाहपुर चरुवा	..	..	..	..	०.९६७
३४—गड़हा खास	..	..	..	..	१.६८६
३५—नान्हू साथ	..	..	..	..	५.१३९
३६—हसनाडीह	..	..	..	..	०.५५०
				योग ..	७७.५३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

तालिका (१ अप्रैल, १९६५ की स्थिति)

क्रम-सं०	ऐसे व्यक्तियों का नाम जिनके ऊपर १०,००० रु० से अधिक का बिक्री-कर का बकाया है	किस वर्ष का बकाया है	१० हजार रु० से अधिक के बकाया बिक्री-कर की रकम	१-४-६५ तक बकाया बिक्री-कर न वसूल होने के कारण
१	सर्वश्री बेनी राम, मूल चन्द, पर फ्यूमर्स, कन्नौज।	१९४८-४९	९,०४८.९०	व्यापारी के ऊपर सम्पूर्ण बकाए की वसूली के लिए वसूली के प्रमाण-पत्र समय-समय पर जारी किए गए परन्तु उसने किसी न किसी प्रकार रोक का आदेश सरकार, उच्च न्यायालय एवं अन्य समर्थ अधिकारियों से प्राप्त कर लिया। अब सरकार द्वारा दिए गए रोक के आदेश की अवधि समाप्त हो गई है और जिलाधीश महोदय ने कन्नौज तहसील के तहसीलदार को विशेष रूप से बिक्री-अधिकारी नियुक्त कर, व्यापारी की अचल सम्पत्ति को दो महीने के अन्दर ही बेचने के लिए आदेश दिया है।
		१९४९-५०	८,८८९.७८	
		१९५०-५१	४,३२५.५५	
		१९५१-५२	३,११२.८१	
		१९५२-५३	२,७८१.१५	
		१९५३-५४	१,०७०.३१	
		१९५४-५५	८२२.९४	
		१९५६-५७	१,१२७.६९	
		१९५७-५८ (उ०प्र०)	१,५५४.६९	
		१९५७-५८ (केन्द्रीय)	१,६२५.००	
		१९५८-५९ (उ०प्र०)	१,६९५.३१	
		१९५८-५९ (केन्द्रीय)	२,६५०.००	
		१९५९-६० (उ०प्र०)	७५८.००	
		१९५९-६० (केन्द्रीय)	२,१००.००	
		१९६०-६१ (उ०प्र०)	५१०.००	
		१९६०-६१ (केन्द्रीय)	२,१००.००	
		१९६१-६२ (उ०प्र०)	४४६.००	
		१९६१-६२ (केन्द्रीय)	१,४००.००	
		१९६२-६३ (उ०प्र०)	४४६.००	
		१९६२-६३ (केन्द्रीय)	१,४००.००	

क्रम-सं०	ऐसे व्यक्तियों का नाम जिनके ऊपर १०,००० रु० से अधिक का बिक्री-कर का बकाया है	किस वर्ष का बकाया है	१० हजार रु० से अधिक के बकाया बिक्री-कर की रकम	१-४-६५ तक बकाया बिक्री-कर न वसूल होने कारण
		१९६३-६४ (उ०प्र०)	४४०.००	
		१९६३-६४ (केन्द्रीय)	१,०००.००	
		१९६४-६५ (उ०प्र०)	५६०.००	
		१९६४-६५ (केन्द्रीय)	६००.००	
			५०,४६४.१३	
२	सर्वश्री मन्नूलाल, राम नारायन, परफ्यूमर्स, कन्नौज	१९६०-६१ (उ०प्र०)	२.००	व्यापारी के ऊपर सम्पूर्ण बकाए कर की वसूली के लिए वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किए गए। तहसीलदार कन्नौज बकाए की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।
		१९६१-६२ (उ०प्र०)	९८९.८४	
		१९६१-६२ (केन्द्रीय)	७७०.४९	
		१९६४-६५ (उ०प्र०)	४,२४३.५३	
		१९६४-६५ (केन्द्रीय)	६,०८९.०२	
			१२,०९४.८८	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०० एल० ए०—१९६५—८६२।